भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2022 को समेकित तुलन पत्र

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची संख्या	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी एवं देयताएँ			
पूंजी	1	892,46,12	892,46,12
आरक्षित निधियाँ व अधिशेष	2	304695,58,39	274669,09,88
अल्प मदों पर ब्याज	2ए	11207,42,28	9625,91,66
जमा राशियाँ	3	4087410,60,06	3715331,24,17
उधार राशियाँ	4	449159,78,36	433796,20,81
अन्य देयताएँ व प्रावधान	5	507517,67,73	411303,62,01
योग		**5360883,52,94**	**4845618,54,65**
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और जमाराशियाँ	6	258086,43,01	213498,61,59
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	7	140818,69,16	134208,41,98
निवेश	8	1776489,89,88	1595100,26,64
अग्रिम	9	2794076,00,18	2500598,98,67
अचल आस्तियाँ	10	39510,03,05	40166,78,82
अन्य आस्तियाँ	11	351902,47,66	362045,46,95
योग		**5360883,52,94**	**4845618,54,65**
आकस्मिक देयताएँ	12	2007232,49,00	1714239,51,59
वसूली के लिए बिल		77783,05,62	56557,64,31
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17		
लेखा टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं

श्री अश्विनी कुमार तिवारी	**श्री स्वामीनाथन जे.**	**श्री अश्वनी भाटिया**	**श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी**
प्रबंध निदेशक	प्रबंध निदेशक	प्रबंध निदेशक	प्रबंध निदेशक
(आईबी, टी एवं एस)	(आर, सी एवं एसएआरजी)	(सीबी एवं जीएम)	(आर एवं डीबी)

इसी तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पं.सं. 105049W

श्री दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

श्री शैलेश शाह
भागीदार
सदस्य संख्या 033632

स्थान: मुंबई
दिनांक : 13 मई, 2022

अनुसूची

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी :		
5000,00,00,000 शेयर ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 5000,00,00,000 शेयर ₹1 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी :		
892,54,05,164 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,54,05,164 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर)	892,54,05	892,54,05
अभिदत्त तथा संदत्त पूंजी :		
892,46,11,534 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,46,11,534 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर)	892,46,12	892,46,12
[उपर्युक्त में 10,36,05,740 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर शामिल है (पिछले वर्ष 10,97,28,170 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर) इन्हें 10,36,05,74 (पिछला वर्ष 10,97,28,17) वैश्विक रसीद के रूप में व्यक्त किया गया है]		
योग	**892,46,12**	**892,46,12**

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ व अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I.	**सांविधिक आरक्षित निधियाँ**				
	अथ शेष	77170,11,43		70882,27,64	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	9769,02,69		6287,83,79	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	**86939,14,12**	-	**77170,11,43**
II.	**पूंजी आरक्षित निधियाँ**				
	अथ शेष	15231,66,59		13766,54,18	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	538,15,24		1465,12,41	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	**15769,81,83**	-	**15231,66,59**
III.	**शेयर प्रीमियम**				
	अथ शेष	79115,47,05		79115,47,05	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	**79115,47,05**	-	**79115,47,05**

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
IV. निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधियाँ				
अथ शेष	3048,07,72		1119,88,09	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	4647,87,02		1928,19,63	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	**7695,94,74**	-	**3048,07,72**
V. विदेशी मुद्रा रूपांतर आरक्षित				
अथ शेष	10290,42,37		10224,02,47	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	966,26,66		268,60,67	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	**11256,69,03**	202,20,77	**10290,42,37**
VI. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियाँ				
अथ शेष	57936,43,59		52481,96,28	
वर्ष के दौरान परिवर्धन #	2072,94,73		5499,71,21	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	136,12,42	**59873,25,90**	45,23,90	**57936,43,59**
VII. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ				
अथ शेष	23577,34,78		23762,66,57	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	199,48,07	**23377,86,71**	185,31,79	**23577,34,78**
VIII. समेकन पर पूंजी आरक्षित				
अथ शेष	203,02,24		176,58,27	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	70,01,72		26,43,97	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	**273,03,96**	-	**203,02,24**
IX. लाभ-हानि खाते का अधिशेष		**20394,35,05**		**8096,54,11**
योग		**304695,58,39**		**274669,09,88**

शुद्ध समेकन समायोजन

अनुसूची 2ए- अल्प मदों पर ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
वर्ष के प्रारंभ में अल्प मदों पर ब्याज	9625,91,66	7943,82,20
बाद में वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी	1581,50,62	1682,09,46
तुलन पत्र की तिथि पर अल्प मदों पर ब्याज	**11207,42,28**	**9625,91,66**

अनुसूची 3 - जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क.	**I.**	**मांग जमाराशियाँ**		
		(i) बैंकों से	6328,02,10	5469,19,61
		(ii) अन्य से	273403,37,96	283808,86,05
	II.	**बचत बैंक जमाराशियाँ**	1539980,57,43	1397501,44,70
	III.	**सावधि जमाराशियाँ**		
		(i) बैंकों से	8971,36,01	5492,77,67
		(ii) अन्य से	2258727,26,56	2023058,96,14
योग			**4087410,60,06**	**3715331,24,17**
ख.	**(i)**	**भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ**	3917357,59,34	3567926,84,86
	(ii)	भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	170053,00,72	147404,39,31
योग			**4087410,60,06**	**3715331,24,17**

अनुसूची 4 - उधार राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I.	**भारत में उधार-राशियाँ**					
	(i)	भारतीय रिज़र्व बैंक		24956,00,00		24956,00,00
	(ii)	अन्य बैंक		12601,43,98		10678,34,70
	(iii)	अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण		152877,62,75		159271,91,86
	(iv)	पूंजी लिखत:				
		अ. नवोन्मेषी सतत ऋण लिखतें (आईपीडीआई)	36709,70,00		29835,70,00	
		ब. गौण ऋण	36529,90,00	73239,60,00	37629,90,00	67465,60,00
योग				**263674,66,73**		**262371,86,56**
II.	**भारत के बाहर उधार-राशियाँ**					
	(i)	भारत के बाहर उधार-राशियाँ तथा पुनर्वित्त		185320,49,83		169041,42,45
	(ii)	पूंजीगत लिखतें:				
		अ. नवोन्मेषी सतत ऋण लिखतें (आईपीडीआई)	-		2193,30,00	
		ब. गौण ऋण	164,61,80	164,61,80	189,61,80	2382,91,80
योग				**185485,11,63**		**171424,34,25**
कुल योग				**449159,78,36**		**433796,20,81**
उपर्युक्त I व II में प्रतिभूत उधार-राशियाँ सम्मिलित हैं।				188360,08,98		190279,61,10

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ व प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. संदेय बिल	33485,82,47	17728,51,70
II. अंतर-बैंक समायोजन (निवल)	37,86,55	49,69,05
III. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	2344,61,99	1,23,54
IV. उपचित ब्याज	17990,61,59	15309,15,71
V. आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	5,68,86	3,70,81
VI. बीमा व्यवसाय में पॉलिसीधारकों से संबंधित देयतांए	264548,27,48	219027,87,65
VII. मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	20592,09,08	16005,37,56
VIII. अन्य (प्रावधानों सहित)*	168512,69,71	143178,05,99
योग	**507517,67,73**	**411303,62,01**

अनुसूची 6 - नकदी व भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट तथा स्वर्ण सहित)	21967,22,06	23691,32,43
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ		
(i) चालू खाते में	236119,20,95	189807,29,16
(ii) अन्य खातों में	-	-
योग	**258086,43,01**	**213498,61,59**

अनुसूची 7 - बैंकों में जमाराशियाँ व मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में		
(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
(क) चालू खातों में	1064,57,10	1067,90,06
(ख) अन्य जमा खातों में	3727,11,66	3160,05,92
(ii) मांग तथा अल्पकालीन सूचना पर प्राप्य राशि		
(क) बैंकों में	60938,22,08	47369,93,31
(ख) अन्य संस्थानों में	-	-
योग	**65729,90,84**	**51597,89,29**
II. भारत के बाहर		
(i) चालू खातों में	62547,03,12	64287,31,27
(ii) अन्य जमा खातों में	3579,70,45	8587,68,13
(iii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	8962,04,75	9735,53,29
योग	**75088,78,32**	**82610,52,69**
कुल योग (I एवं II)	**140818,69,16**	**134208,41,98**

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में निवेश :		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	1261071,12,87	1139960,41,91
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	35365,93,17	27743,27,21
(iii) शेयर	90652,83,35	68972,62,29
(iv) डिबेंचर व बॉन्ड	269609,83,27	253967,00,87
(v) सहयोगी एवं अनुषंगिया # $	14603,34,61	13209,01,04
(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड की यूनिट, इत्यादि)	47875,58,26	40219,16,31
योग	**1719178,65,53**	**1544071,49,63**
II. भारत के बाहर निवेश :		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं)	24165,67,65	21697,01,67
(ii) सहयोगी #	158,80,87	145,62,73
(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर इत्यादि)	32986,75,83	29186,12,61
योग	**57311,24,35**	**51028,77,01**
कुल योग (I एवं II)	**1776489,89,88**	**1595100,26,64**
III. भारत में निवेश :		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	1731051,89,01	1554398,52,92
(ii) घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास	11873,23,48	10327,03,29
निवल निवेश (उपर्युक्त I के अनुसार)	**1719178,65,53**	**1544071,49,63**
IV. भारत के बाहर निवेश :		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	57458,70,66	51070,30,95
(ii) घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास	147,46,31	41,53,94
निवल निवेश (उपर्युक्त II के अनुसार)	**57311,24,35**	**51028,77,01**
कुल योग (III एवं IV)	**1776489,89,88**	**1595100,26,64**
# सहयोगियों में निवेश (भारत में और भारत के बाहर)		
सहयोगियों में इक्विटी निवेश	10215,12,19	9669,58,12
जोड़ें : सहयोगियों के अधिग्रहण पर गुडविल	25,91,12	-
घटाएं : सहयोगियों के अधिग्रहण पर पूंजी रिज़र्व	981,48,87	981,48,87
घटाएं : कमी के लिए प्रावधान	-	-
सहयोगियों के निवेश में लागत	**9259,54,44**	**8688,09,25**
जोड़ें : अधिग्रहण के बाद लाभ/ (हानि) और सहयोगियों के रिज़र्व (इक्विटी विधि	5498,61,05	4662,54,53
योग	**14758,15,49**	**13350,63,78**

$ शेयर आवेदन राशि सहित

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क. (i) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	168552,97,29	96263,84,05
(ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिसंदेय ऋण	740936,12,49	697691,68,91
(iii) सावधि ऋण	1884586,90,40	1706643,45,71
योग	**2794076,00,18**	**2500598,98,67**

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
ख. (i)	**मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम शामिल है) ` 130915,53,15 हजार (पिछला वर्ष ₹ 134277,32,43 हजार)**	1901776,92,33	1784402,74,29
(ii)	बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा संरक्षित	114844,70,33	96691,34,81
(iii)	अप्रतिभूत	777454,37,52	619504,89,57
योग		**2794076,00,18**	**2500598,98,67**
ग. (I)	**भारत में अग्रिम**		
(i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	658546,87,83	564570,85,92
(ii)	सार्वजनिक क्षेत्र	167199,40,75	257246,23,86
(iii)	बैंक	1536,43,37	4833,33,50
(iv)	अन्य	1519580,51,83	1285608,47,38
योग		**2346863,23,78**	**2112258,90,66**
(II)	**भारत के बाहर अग्रिम**		
(i)	बैंकों से प्राप्य	119514,35,15	80143,34,26
(ii)	अन्य से प्राप्य		
(अ)	क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	35345,80,07	35004,71,22
(ब)	सिंडीकेट ऋण	196311,75,75	184413,38,38
(स)	अन्य	96040,85,43	88778,64,15
योग		**447212,76,40**	**388340,08,01**
कुल योग	**(ग-I एवं ग-II)**	**2794076,00,18**	**2500598,98,67**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I. परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसरों सहित)				
पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत/ पुनर्मूल्यांकन पर परिसरों सहित	31130,03,43		31094,35,54	
परिवर्धन:				
- वर्ष के दौरान	226,53,68		81,64,96	
- पुनर्मूल्यांकन हेतु	-		-	
कटौतियाँ:				
- वर्ष के दौरान	4,46,02		35,43,48	
- पुनर्मूल्यांकन हेतु	15,50,22		10,53,59	
अद्यतन मूल्यह्रास				
- लागत पर	1168,76,60		1043,45,83	
- पुनर्मूल्यांकन पर	1028,90,79	29138,93,48	850,52,10	29236,05,50
I अ. निर्माणाधीन परिसर		252,96,55		351,83,45

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
II.	**अन्य अचल आस्तियां (इसमें फर्नीचर तथा फिक्सचर सम्मिलित हैं)**				
	पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत/ पुनर्मूल्यांकन पर	38991,32,27		36021,19,34	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	2952,36,16		3753,83,35	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	741,50,60		783,70,42	
	अद्यतन मूल्यह्रास	31339,27,63	9862,90,20	28686,49,53	10304,82,74
IIअ.	**पट्टा आस्ति**				
	पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत/ पुनर्मूल्यांकन पर	288,85,63		240,38,84	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	126,36,17		74,34,19	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	17,27,78		25,87,40	
	अद्यतन मूल्यह्रास (प्रावधानों सहित)	170,27,88		131,13,19	
		227,66,14		**157,72,44**	
	घटाएँ : पट्टा समायोजन खाता	-	227,66,14	-	157,72,44
योग	**(I, Iअ,II एवं IIअ)**		**39482,46,37**		**40050,44,13**
III.	**निर्माणाधीन आस्तियां (पट्टा आस्ति सहित) निवल प्रावधान**		27,56,68		116,34,69
योग	**(I, Iअ, II, IIआ एवं III)**		**39510,03,05**		**40166,78,82**

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	-	20540,95,39
II.	अंतर-बैंक समायोजन (निवल)	-	-
III.	उपचित ब्याज	37043,85,65	32770,84,89
IV.	अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती	22650,12,52	26435,38,67
V.	आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	6745,22,82	7244,80,47
VI.	लेखन सामग्री तथा स्टैम्प	59,06,04	89,60,16
VII.	दावों के निपटान से प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियां	11,52,34	10,49,60
VIII.	नाबार्ड/ सिडबी/ एनएचबी के पास रखी गई जमा राशियां	195618,29,52	184093,45,48
IX.	समेकन पर गुडविल	1550,02,47	1549,99,41
X.	अन्य	88224,36,30	89309,92,88
योग		**351902,47,66**	**362045,46,95**

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. बैंक के विरुध्द दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	86519,11,42	79862,51,29
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों/ जोखिम निधि के लिए देयता	2773,96,99	2617,80,58
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	1213429,79,26	1029404,66,06
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
(क) भारत में	166528,97,91	173297,71,34
(ख) भारत के बाहर	95727,54,21	72991,10,08
V. प्रतिग्रहण,पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	171892,93,33	149014,00,66
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	270360,15,88	207051,71,58
योग #	**2007232,49,00**	**1714239,51,59**

₹ 1,91,46 हजार (पिछले वर्ष ₹ 2,09,62 हजार) संयुक्त उद्यमों की आकस्मिक देयता में हिस्सेदारी से संबंधित है

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2022 को समेकित लाभ हानि खाता

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची संख्या	31.03.2022 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	289972,68,60	278115,47,67
अन्य आय	14	117000,40,37	107222,41,38
योग		**406973,08,97**	**385337,89,05**
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	156194,34,41	156010,16,71
परिचालन व्यय	16	174363,42,58	150429,59,53
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		40059,14,84	54618,40,87
योग		**370616,91,83**	**361058,17,11**
III. लाभ			
निवल लाभ वर्ष के लिए (सहयोगियों के लाभ में अंश के समायोजन एवं अल्पमदों पर ब्याज से पूर्व		36356,17,14	24279,71,94
जोड़ें: सहयोगियों के लाभ /(हानि) में शेयर		827,01,33	(391,90,45)
घटाएँ: अल्प मदों पर ब्याज		1809,30,49	1482,35,73
समूह का निवल लाभ		35373,87,98	22405,45,76
आगे लाया गया लाभ/(हानि)		8096,54,12	(1361,74,25)
योग		**43470,42,10**	**21043,71,51**
IV. विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरण		9769,02,69	6287,83,79
पूंजी आरक्षित निधियों को अंतरण		538,15,24	1465,12,42
निवेश उतार-चढ़ाव निधि में अंतरण		4647,87,02	1928,19,63
राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों को अंतरित		1783,68,04	(307,48,07)
चालू वर्ष के लिए डिविडेंड		6336,47,42	3569,84,46
डिविडेंड पर कर		86,64	3,65,16
तुलन पत्र में आगे ले जाई गई शेष राशि		20394,35,05	8096,54,12
योग		**43470,42,10**	**21043,71,51**
V. प्रति शेयर मूल आय (प्रति शेयर 1 रुपए का अंकित मूल्य)			
मूल (₹ में)		39.64	25.11
कम की गई (₹ में)		39.64	25.11
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17		
लेखा टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ और हानि लेखा का अभिन्न अंग हैं।

श्री अश्विनी कुमार तिवारी
प्रबंध निदेशक
(आईबी, टी एवं एस)

श्री स्वामीनाथन जे
प्रबंध निदेशक
(आर, सी एवं एसएआरजी)

श्री अश्विन भाटिया
प्रबंध निदेशक
(सीबी एवं जीएम)

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
प्रबंध निदेशक
(आर एवं डीबी)

इसी तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पं.सं. 105049W

श्री दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

श्री शैलेश शाह
पार्टनर
सदस्य संख्या 033632 संख्या

स्थान: मुंबई
दिनांक : 13 मई, 2022

अनुसूची - 13 अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	177474,83,13	176780,18,56
II. निवेशों पर आय	93477,89,84	87130,62,06
III. भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य अंतर-बैंक निधियों के अधिशेष पर ब्याज	4608,34,99	4541,42,58
IV. अन्य	14411,60,64	9663,24,47
योग	**289972,68,60**	**278115,47,67**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	24549,32,06	23566,55,62
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल) #	6375,64,61	7504,45,40
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/ (हानि) (निवल)	(445,73,69)	(5,15,48)
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल)	(16,40,47)	(28,33,64)
V. विनिमय लेनदेनों पर लाभ/ (हानि) (निवल)	3530,17,97	2457,74,75
VI. विदेश/भारत में सहयोगियों से लाभांश	3,19,50	3,19,50
VII. क्रेडिट कार्ड सदस्यता/सेवा शुल्क	5269,67,80	3915,36,49
VIII. बीमा प्रीमियम आय (निवल))	62188,03,44	53162,60,19
IX. बट्टे खाते में की गई वसूली	8286,78,94	10700,37,34
X. विविध आय	7259,70,21	5945,61,21
योग	**117000,40,37**	**107222,41,38**

#निवेशों पर बिक्री पर निवल लाभ/(हानि) असाधारण मदों सहित शून्य (पिछला वर्ष ₹ 1367,27,26 हजार)

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज	141765,28,30	143060,44,62
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	7751,72,68	6237,20,49
III. अन्य	6677,33,43	6712,51,60
योग	**156194,34,41**	**156010,16,71**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान #	61445,12,63	54330,82,58
II. भाड़ा, कर और लाइटिंग	5707,73,68	5557,13,72
III. मुद्रण और लेखन सामग्री	709,90,76	581,72,43
IV. विज्ञापन व प्रचार	2693,92,63	2458,63,07
V. (क) अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास (पट्टा आस्तियों को छोड़कर)	3652,67,77	3673,42,72
(ख) पट्टा आस्तियों पर मूल्यह्रास	38,59,23	37,63,64
VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	12,82,78	13,26,40
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस तथा व्यय सहित)	283,56,85	285,25,22
VIII. विधि प्रभार	448,57,06	401,91,78
IX. डाक व्यय, तार, टेलीफोन इत्यादि	710,44,57	492,69,84
X. मरम्मत और अनुरक्षण	1219,04,35	1116,49,53
XI. बीमा	4799,96,54	4272,88,91
XII. क्रेडिट कार्ड परिचालन से जुड़े अन्य परिचालन व्यय	2945,50,71	1503,01,93
XIII. बीमा परिचालन व्यवसाय से जुड़े अन्य व्यय	69706,73,54	58397,01,70
XIV. अन्य व्यय	19988,79,48	17307,66,06
योग	**174363,42,58**	**150429,59,53**

11 नवंबर 2020 के द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के अंतर्गत कर्मचारियों को किए जाने वाले भुगतान तथा पारिवारिक पेंशन में हुई वृद्धि के लिए ₹ 7418,39,00 हजार (पिछले वर्ष शून्य) को असाधारण मद के रूप में शामिल किया है।

अनुसूची 17-
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. पृष्ठभूमि :

भारतीय स्टेट बैंक ('एसबीआई' या 'बैंक'), बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा सांविधिक निकाय है, जो व्यक्तियों, वाणिज्यिक उद्यमों, बड़े कॉरपोरेट, सार्वजनिक निकायों एवं संस्थागत ग्राहकों को विभिन्न उत्पाद एवं सेवाएँ प्रदान करता है। यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 द्वारा शासित होता है।

भारतीय स्टेट बैंक समूह ('एसबीआई समूह' या 'समूह') में एसबीआई, 27 अनुषंगियाँ, 8 संयुक्त उद्यम और 18 सहयोगी शामिल हैं।

एसबीआई समूह की महत्वपूर्ण लेखा नीतियां अर्थात एसबीआई के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार तथा प्रस्तुत करने में लागू किए जाने वाले विशिष्ट लेखा सिद्धांत एवं विधियां नीचे दी जा रही हैं।

ख. तैयार करने का आधार :

एसबीआई समूह की लेखा और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों, निर्देशों और दिशानिर्देशों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के वैधानिक दिशा-निर्देशों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996, कंपनी अधिनियम 2013, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा पद्धतियां शामिल हैं।

विदेश इकाइओं के मामले में, विदेशी संस्थाओं पर सामान्यता स्वीकृत लेखा सिध्दतों का पालन किया जाता है।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरण को परंपरागत लागत परिपाटी तरीके से तैयार किया जाता है जिसमें लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के मौलिक लेखा आकलन, स्थिरता एवं उपचय (जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो) को ध्यान में रखा जाता है।

ये समेकित वित्तीय विवरण आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

ग. प्राक्कलनों का प्रयोग:

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन-मंडल, वित्तयीय विवरणों की तिथि पर आस्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में इस्तेमाल किया गया प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत है। वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

घ. समेकन का आधार:

1. एसबीआई समूह के समेकित वित्तीय विवरण में निम्नलिखित विषय शामिल हैं:
   - क. भारतीय स्टेट बैंक (मूल कंपनी) के वित्तीय विवरण।
   - ख. अनुषंगियों की आस्ति/देयता/आय/व्यय का मूल कंपनी की इन्हीं मदों से अक्षरश: समेकन किया गया है। आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 21 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार असमरूप लेखा नीतियों के लिए, जहां आवश्यक है वहां, सभी अंतः समूह महत्वपूर्ण बकाया लेनदेन के कारण अप्राप्त लाभ एवं समायोजन को हटाना।
   - ग. संयुक्तउद्यम निकायों की आस्ति/देयता/आय/व्यय के समानुपातिक भाग का समेकन आसीएआई द्वारा जारी "संयुक्त उद्यमों में हितों पर वित्तीय सूचना" के एसएस 27 के अनुसार किया गया है।
   - घ. 'सहयोगियों' में किए गए निवेश का लेखांकन आसीएआई द्वारा जारी 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश हेतु लेखांकन' के लेखा मानक 23 की "इक्विटी पद्धति" के अनुसार किया गया है।
2. अनुषंगी कंपनियों में समूह के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की इक्विटी में समूह के अंश के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में साख/पूंजी आरक्षित निधि के रूप में दिखाया गया है।
3. समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हित निम्नवत हैः
   - क. जिस तिथि को अनुषंगी के इक्विटी शेयरों में निवेश किया गया है उस तिथि को अल्पांश शेयरधारकों के कारण इक्विटी की राशि और,
   - ख. मूल कंपनी और अनुषंगी के बीच संबंध स्थापित होने की तिथि से आय आरक्षितियों/ हानि (इक्विटी) में अल्पांश शेयर का उतार-चढ़ाव।

ङ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1. आय निर्धारण :

1.1 आय और व्यय की उपचय आधार पर (जहाँ अन्यथा न कहा गया हो) गणना की जाती है।

1.2 ब्याज/छूट आय को लाभ और हानि खाते में निम्नलिखित के लिए वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है :

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक/विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार निवेश सहित अलाभकारी आस्तियों से आय

(ख) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय जिसे "ट्रेडिंग" नाम दिया गया है।

1.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी

के निवेशों की बिक्री तथा बैंक द्वारा धारित अचल आस्तियों की बिक्री पर होने वाले लाभ को, प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली निवल राशि घटाने के बाद आरक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया जाता है।

परिपक्वता तक धारित श्रेणी के निवेशों अधिग्रहण पर छूट को निम्नानुसार हिसाब में लिया जाता है:

क. ब्याज युक्त प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/मोचन के समय हिसाब में लिया जाता है।

ख. शून्य कूपन वाली प्रतिभूतियों पर इसे सतत आय आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है।

1.4 लाभांश को प्राप्त करने का अधिकार लागू होने पर लाभांश आय को हिसाब में लिया जाता है।

1.5 इस अवधि में साख-पत्र/बैंक गारंटी, आस्थगित भुगतान गारंटियों, सरकारी व्यवसाय, एटीएम इंटरचेंज शुल्क और 'पुनर्संरचित खाते पर अग्रिम शुल्क' पर कमीशन को उपचय आधार पर आनुपातिक रूप से हिसाब में लिया गया है। अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय को उनकी प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिया गया है।

1.6 विशेष आवास ऋण योजना के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम (दिसंबर 2008 से जून 2009 तक) का परिशोधन 15 वर्षों की औसत ऋण अवधि में किया गया है।

1.7 बॉन्ड/जमापत्र जारी करने के लिए अदा की गई दलाली, कमीशन आदि को संबंधित बॉन्ड एवं जमापत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है एवं इन्हें जारी करने पर हुए खर्च को अग्रिम रूप से लिया जाता है।

1.8 जब बैंक अपनी वित्तीय आस्तियों की बिक्री प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निमान कंपनी को करता है, तो वह इन आस्तियों को अपने खातों से हटा देता है और उन्हें निम्नानुसार हिसाब में लेता है :

i. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (बही मूल्य से प्रावधानों को घटाकर) से कम है, तो इस कमी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते को नामे किया जाता है।

ii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है, तो अतिरिक्त प्रावधान की राशि को उसके प्राप्त होने वाले वर्ष में ही वापस कर लिया जाता है।

1.9 निर्गम-प्रबंधन और परामर्श शुल्क, समूह के मर्चेंट बैंकिंग व्यवसाय के मामले में ग्राहक से हुए करार के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। शुल्क आय को तव हिसाब में लिया जाता है जबकि करार में उल्लिखित लक्ष्य पूरा/निष्पादित कर दिया जाता है।

1.9.1 सुपुर्द नियत-कार्य के पूरा होने के बाद प्राइवेट प्लेसमेंट फीस को हिसाब में लिया जाता है।

1.9.2शेयर दलाली कार्यकलाप से संबंधित दलाली आय को लेनदेन करने की तिथि पर शामिल किया गया है और उसमें स्टांप शुल्क एवं लेनदेन संबंधी व्यय शामिल है तथा योजना के लिए दी गई प्रोत्साहन राशियां शामिल नहीं है।

1.9.3 पब्लिक इश्यू से संबंधित कमीशन को पब्लिक इश्यू आवंटन पूरा होने पर/मध्येस्थ से सूचना प्राप्त होने के बाद हिसाब में लिया जाता है।

1.9.4. पब्लिक इश्यू/ म्यूचुअल फंड/ अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित ब्रोकरेज को ग्राहकों/बिचौलियों से राशि और सूचना प्राप्त होने के बाद हिसाब में लिया जाता है।

1.9.5. निक्षेपागार आय - वार्षिक अनुरक्षण प्रभार को उपचय आधार पर तथा लेनदेन प्रभार को लेनदेन की संव्यवहार तिथि को हिसाब में लिया जाता है।

1.10.समूह के आस्ति प्रबंधन व्यवसाय के मामले में, प्रबंधन शुल्क को संबंधित योजनाओं में सहमत विशिष्ट दरों पर हिसाब में लिया जाता है तथा इसकी गणना प्रत्येक योजना की निवल आस्ति के दैनिक औसत आधार पर की जाती है। (अंतर योजना निवेश, जहां कंपनी द्वरा संबंधित योजना में किए गए निवेश एवं बैंकों में जमा राशि को छोड़कर) और यह सेबी (म्युचुअल-फंड) विनियम, 1996 द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप है।

1.10.1.पोर्टफोलियो परामर्श सेवाओं, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं और वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) से प्राप्त प्रबंधन शुल्क को करार के शर्तों के अनुसार, उपचय आधार पर शामिल किया गया है।

1.10.2. प्रतिस्थापन अधिकार के अंतर्गत कंपनी द्वारा अभिगगृहीत योजनाओं के अंतरित निवेशों की वसूली को प्राप्ति आधार पर हिसाब में लिया गया है। निधिक गारंटी योजनाओं से होने वाली वसूली को प्राप्ति के वर्ष के आय के रूप में माना गया है।

1.10.3. निर्धारित दरों से अधिक योजना व्ययों और नई फंड पेशकश से संबंधित व्ययों को सेबी (म्युचुअल-फंड) विनियम, 1996 की अपेक्षाओं के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में उसी वर्ष में शामिल किया गया है, जिसमें वे वहन किए गए।

1.10.4. असीमित अवधि वाली इक्विटी सम्बद्ध कर बचत योजनाओं और सुव्यवस्थित निवेश (एस आई पी) से संबंधित निवेशों पर प्रदान दलाली तथा/अथवा प्रोत्साहन राशि को 36 महीनों की अवधि के दौरान और अन्य योजनाओं के मामले में क्लॉ-बैक अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है। सीमित अवधि वाली योजनाओं के मामले में, दलाली की राशि को योजनाओं की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है।

1.11. समूह के क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के मामले में सदस्यता सेवाओं के प्रावधान से अर्जित आय को सदस्यता अवधि में आय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें अपेक्षित रिवर्सल / रद्दीकरण के विचार के उचित मूल्य पर 12 महीने शामिल होते हैं।

1.11.1 अन्य सेवा राजस्व में कार्ड धारकों को प्रदान की जाने वाली मूल्यवर्धित सेवाएं शामिल हैं।

अन्य सेवा राजस्व को उसी अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित लेनदेन होते हैं या सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

1.11.2. इंटरचेंज शुल्क अधिग्रहणकर्ताओं से एकत्र किए जाते हैं और नेटवर्क भागीदारों द्वारा जारीकर्ताओं को भुगतान किया जाता है ताकि सेवाओं को प्रदान करने के लिए किए गए लागत के हिस्से के लिए जारीकर्ताओं को प्रतिपूर्ति की जा सके, जो अधिग्रहणकर्ताओं और व्यापारियों सहित सिस्टम में सभी प्रतिभागियों को लाभान्वित करते हैं। इंटरचेंज आय से राजस्व को तब पहचाना जाता है जब संबंधित लेनदेन होता है, या सेवा प्रदान की जाती है।

1.11.3. कुल अनिर्धारित प्राप्तियों को, जिन्हें पूर्ण एवं सही सूचना के अभाव में ग्राहकों के खातों में जमा या समायोजित नहीं किया जा सका, तुलनपत्र में देयता के रूप में समझा गया है। 6 महीने से अधिक और 3 वर्ष तक की अनुमानित अज्ञात प्राप्तियों को बट्टे खाते में डाले गए ग्राहकों की ओर तुलन पत्र की तारीख पर आय के रूप में वापस लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त, 3 वर्षों से अधिक की समाधान नहीं हुई अनिर्धारित प्राप्तियों को भी तुलनपत्र की तिथि को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है। तीन वर्षों से अधिक की अवधि वाले चेक की देयता को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है।

1.11.4. अन्य सभी आय/सेवा शुल्क संबंधित लेनदेन के समय दर्ज किए गए हैं।

1.12 समूह के फैक्टरिंग व्यवसाय के मामले में फैक्टरिंग प्रभार, कंपनी द्वारा निर्धारित लागू दरों पर ऋणों के फैक्टरिंग पर अर्जित किए जाते हैं। प्रसंस्करण शुल्क को आय के रूप में केवल तभी मान्यता दी जाती है जब दस्तावेजों के निष्पादन के बाद इसकी प्राप्ति की उचित निश्चितता हो। सुविधा निरंतरता शुल्क (एफसीएफ) की गणना की जाती है और सभी सक्रिय मानक खातों पर पूरे अगले वित्तीय वर्ष के लिए मई के महीने में प्रभारित किया जाता है। 01 मई की तारीख को एफसीएफ के संचय की तारीख के रूप में माना जाता है।

1.13 समूह जीवन बीमा व्यवसाय के मामले में, पॉलिसी धारकों से देय होने पर, असंबद्ध व्यवसाय प्रीमियम (सेवाकर को घटाने के बाद) को आय के रूप में लिया जाता है। संबद्ध व्यवसाय के मामले में, प्रीमियम आय का निर्धारण उससे जुड़ी यूनिट के आवंटन के समय किया जाता है। परिपर्ती बीमा उत्पादों (वीआईपी) के मामले में प्रीमियम आय को उस तारीख से आय के रूप में लिया जाता है, जिस तारीख से पॉलिसी मूल्य जमा किया जाता है। कालातीत पॉलिसियों को जब तक पुन: प्रवर्तित नहीं किया जाता, तब तक ऐसी पॉलिसियों के वसूल न किए गए प्रीमियम को हिसाब में नहीं लिया जाता है।

1.13.1. टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप मे समझा गया है।

1.13.2. संबद्ध निधियों से आय जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, पॉलिसी प्रबंधन प्रभार, मृत्यु प्रभार आदि शामिल हैं: पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूल किए गए हैं और वसूली होने पर शामिल किए गए हैं।

1.13.3. इक्विटी प्रतिभूतियों, म्यूचुअल फंडों की इकाइयों, इक्विटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों (ईटीएफ), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट्स) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) के संबंध में प्राप्त लाभ और हानि की गणना शुद्ध बिक्री आय और उनकी लागत के बीच के अंतर के रूप में की जाती है। ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में, प्राप्त लाभ और हानियों की गणना शुद्ध बिक्री आय या मोचन आय और भारित औसत परिशोधित लागत के बीच के अंतर के रूप में की जाती है। इक्विटी शेयरों के संबंध में लागत, म्यूचुअल फंड इक्विटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट्स) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स ट्रस्ट (आरईआईटी) की इकाइयों की गणना भारित औसत विधि का उपयोग करके की जाती है।

1.13.4. प्रतिभूतियाँ उधार देने और लेने की योजना के तहत इक्विटी शेयर उधार देने पर प्राप्त शुल्क को सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उधार देने की अवधि के दौरान आय के रूप में माना जाता है।

1.13.5. पुनर्बीमा पर दिए गए प्रीमियम को पुन: बीमा संधि या पुन: बीमाकर्ता के साथ सैद्धांतिक व्यवस्था की शर्तों के अनुसार गिना जाता है।

1.13.6. दिए गए लाभ :

- जहां प्रयोज्य हो, दावा-व्यय में पॉलिसी लाभ एवं दावा निपटान व्यय शामिल होते हैं।
- मृत्यु और अनुवृद्धि से संबंधित दावों की सूचना प्राप्त होने पर उन्हें हिसाब में लिया जाता है। अवधि के अंत की सूचनाओं पर ऐसे दावों की गणना के लिए विचार किया जाता है।
- परिपक्वता से संबंधित दावों को पॉलिसी की परिपक्वता तिथि को हिसाब में लिया जाता है।
- उत्तरजीविता और वार्षिकी लाभों की गणना उस समय की जाती है, जब से देय होते हैं।
- अभ्यर्पणों एवं आहरण को सूचित किए जाने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों में व्यपगत पॉलिसियों पर देय राशि सम्मिलित होती है और इसे देय होने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों, आहरण और पॉलिसी व्यपगत होने पर प्रकटीकरण वसूली योग्य प्रभारों को घटाकर किया जाता है।

- न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत विवादित दावों का उनके द्वारा निराकरण करने पर प्रबंधन के विवेकानुसार इन दावों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करके निपटान करने के लिए प्रावधान किया गया है।
- पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूल की जाने वाली राशियों को संबंधित दावों की अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है और उन्हें दावों से घटाया जाता है।

1.13.7. कमीशन जैसे अधिग्रहण खर्च, चिकित्सा शुल्क आदि ऐसे खर्च हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकृत बीमा संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित होते हैं और व्यय के समय ही इनका भुगतान कर दिया जाता है।

1.13.8. बीमा पॉलिसियों के लिए देयता: सभी जीवन बीमा पॉलिसियों के बीमांकिक देयता की गणना बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार नियुक्त बीमा आकलनकर्ता द्वारा और समय-समय पर आईआरडीएआई द्वारा जारी नियमों और विनियमों और परिपत्रों और भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा जारी प्रासंगिक मार्गदर्शन नोट्स और / या बीमांकिक अभ्यास मानकों (एपीएस) के अनुसार की गई है।

1.13.9. भविष्य के विनियोजन के लिए धनराशि

गैर-संबद्ध व्यवसाय के संबंध के लिए, भविष्य के विनियोजन खाते के लिए निधियों में शेष राशि निधियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका आवंटन या तो भाग लेने वाले पॉलिसीधारकों के लिए या शेयरधारकों के लिए किया गया है जो तुलन पत्र की तारीख में निर्धारित नहीं किया गया है। निधि में और उससे हस्तांतरण कंपनी के पॉलिसीधारकों के निधि में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक लेखांकन अवधि में व्यय और विनियोग पर आय की अधिक या कमी को दर्शाता है। भागीदार पॉलिसियों के संबंध में पॉलिसीधारक को किसी भी आवंटन से आवश्यक अनुपात में शेयरधारकों के हस्तांतरण में वृद्धि होगी।

यूनिट-लिंक्ड निधियों में भविष्य के विनियोजन के लिए उपलब्ध निधि, अधिशेष का प्रतिनिधित्व करता है जो कि व्यपगत पॉलिसी से उत्पन्न हुआ है, जिन्हें पुनर्जीवित करने की संभावना नहीं है। इस सरप्लस को पॉलिसीधारकों के फंड में तब तक रखना आवश्यक है जब तक कि पॉलिसीधारक अपनी पॉलिसी को पुनर्जीवित नहीं कर सकते।

1.14 समूह साधारण बीमा व्यवसाय के मामले में स्वीकृत पुनर्बीमा (माल एवं सेवा कर घटाने के बाद) सहित प्रीमियम को जोखिम प्रारंभ होने की तिथि से बही में दर्ज किया जाता है। यदि प्रीमियम को किस्तों में वसूल किया जाता है, तो देय किस्त की सीमा तक की राशि को किस्त की देय तिथि पर दर्ज किया जाता है। प्रत्यक्ष व्यवसाय और स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम (पुनर्नियोजन प्रीमियम सहित) की सेवा कर घटाने के बाद 1/365 पद्धति के अनुसार सकल आधार पर संविदा अवधि या जोखिम अवधि, जो भी उपयुक्त हो, में आय के रूप में दिखाया गया है। लेबी अवधि की मोटर बीमा पॉलिसियों के मामले में, आईआरडीएआई द्वारा प्रीमियम को वार्षिक आधार पर मान्यता दी जाती हैं। प्रीमियम में कोई भी पुनरीक्षण होने पर वह जोखिम की बकाया अवधि या संविदा अवधि हेतु वही मान्य रहती है। पॉलिसियों के रद्द होने से प्रीमियम आय में होने वाले समायोजनों को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह रद्द की गई है।

1.14.1. बंद किए गए पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अविध में आय के रूप में दिखाया गया है जिस अवधि में पुनर्बीमा जोखिम बंद की गई है। पुनर्बीमा संधियों के अंतर्गत लाभ कमीशन, जहां कहीं लागू हो, को लाभ के अंतिम निर्धारण वाले वर्ष में आय के रूप में दिखाया गया है, जिस प्रकार पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित किया गया है और उसे बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन के साथ रखा गया है।

पुनर्बीमा संधियों के तहत स्लाइडिंग स्केल कमीशन, जहां भी लागू हो, को पुनर्बीमा संधि शर्तों के अनुसार आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसा कि पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा पुष्टि की गई है और पुनर्बीमा पर कमीशन के साथ संयुक्त है।

1.14.2. बंद की गई आनुपातिक पुनर्बीमा पॉलिसी के संबंध में, बंद की गई पुनर्बीमा पॉलिसी की लागत, संविदा अवधि या जोखिम की अवधि पर जोखिम के प्रारंभ पर आरंभ होती है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा लागत को देय होने के समय दिखाया गया है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा व्यवस के अनुसार हिसाब लिया गया है। अन्य कोई अनुवर्ती संशोधन होने पर, प्रीमियमों को वापस या निरस्त करने को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह देय होता है।

1.14.3. पुनर्बीमा प्राप्य स्वीकृतियों को बीमाकर्ताओं से वापस प्राप्य लाभ के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

1.14.4. अधिग्रहण लागत जैसे कमीशन, पॉलिसी निर्गम व्यय आदि ऐसी लागत हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकरण व्यवसाय संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित हैं और उस अवधि में व्यय की गई है जिस अवधि के लिए वह हुई हैं। अधिग्रहण लागत निर्धारण मुख्यतया लागत और बीमा संविदाओं के निष्पादन (अर्थात जोखिम की शुरूआत) के आधार पर किया जाता है। अधिग्रहण लागत के रूप में निर्धारण के लिए प्राथमिक परीक्षण लागत और बीमा अनुबंधों के निष्पादन (यानी जोखिम की शुरुआत) के बीच अनिवार्य संबंध है। लंबी अवधि की मोटर बीमा पॉलिसियों के मामले में कमीशन **IRDAI** द्वारा अनिवार्य के रूप में वर्ष के लिए आवंटित प्रीमियम पर लागू दरों पर खर्च किया जाता है।

1.14.5. अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम जो जोखिम की शुरुआत से पहले प्राप्त प्रीमियम का होता है, उसे वित्तीय विवरणों में 'अन्य देनदारियों और प्रावधान' शीर्षक के तहत अलग से दिखाया जाता है और जोखिम शुरू होने की तारीख को आय के रूप में दर्ज किया जाता है।

अनपेक्षित जोखिम के लिए रिजर्व, लिखित शुद्ध प्रीमियम का वह हिस्सा है (यानी, पुनर्बीमा का प्रीमियम शुद्ध) जो अनुबंध अवधि के आधार पर या जोखिम अवधि के आधार पर सफल लेखा अवधि के लिए जिम्मेदार है और आवंटित किया जाना है, जो भी उपयुक्त हो। आईआरडीएआई इस तरह के रिज़र्व की गणना 1/365 आधार के तहत आनुपातिक आधार पर की जाती है, जो परिपत्र संख्या आईआरडीए / एफएंडए / सीआईआर / सीपीएम / 056/ 03/ 2016 दिनांक 4 अप्रैल 2016 के अनुसार न्यूनतम आरक्षित आवश्यकताओं के अधीन है।

1.14.6. यदि लेखा अवधि के अंत में असमाप्त जोखिमों के संबंध में अपेक्षित शुद्ध दावा लागतों की अंतिम राशि (बीमा आकननकर्ता द्वारा परिकलित और प्रमाणित), संबंधित व्यय और रखरखाव लागत (दावा प्रबंधन से संबंधित) संबंधित प्रीमियम के योग से अधिक है तो उसे बाद की लेखा अवधि के लिए असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित निधि के रूप में प्रीमियम की कमी के रूप में मान्यता दी जाती है।

प्रीमियम की कमी की गणना वार्षिक आधार पर और कंपनी स्तर पर की जाती है।

1.14.7. नुकसान की सूचना मिलने पर दावा माना जाता है। दावे को नुकसान होने की सूचना प्राप्त होने पर उपलब्ध सूचना और विगत अनुभव के आधार पर प्रबंधन द्वारा यथा अनुमानित देय दावा राशि के लिए प्रावधान करके हिसाब लगाया जाता है। इस तरह के प्रावधान की समीक्षा/संशोधन जरूरी होने पर अतिरिक्त जानकारी के आधार पर की जाती है। पुनर्बीमा और सह-बीमा व्यवस्था की शर्तों के तहत पुन: बीमाकर्ताओं/सह-बीमाकर्ताओं से प्राप्त/प्राप्य राशियों को क्रमशः दावे की मान्यता के साथ मान्यता दी जाती है। तुलन पत्र की तिथि पर देय बकाया दावों का प्रावधान प्रबंधन द्वारा अनुमानित पुनर्बीमा, बचाव मूल्य और अन्य वसूलियों का निवल है। भुगतान किए गए दावे (बीमाधारक द्वारा बनाए गए बचाव के मूल्य और दावों पर भुगतान किए गए ब्याज, यदि कोई हो, सहित वसूलियों का निवल) भुगतान के लिए अनुमोदित होने पर लाभ और हानि खाते से शुल्क लिया जाता है। जहां कंपनी द्वारा निस्तारण का अधिग्रहण किया जाता है, ऐसे बिक्री के समय बचाव की बिक्री से वसूली को मान्यता दी जाती है।

1.14.8. लेखा वर्ष के अंत से पहले दावे देयताओं के संबंध में हो सकने वाले प्रावधान, लेकिन जो कि:

- अभी तक रिपोर्ट या दावा नहीं किया गया (आईबीएनआर) या

- पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं की गई अर्थात संभावित दावा राशि (आईबीएनईआर) का उचित अनुमान लगाने के लिए अपर्याप्त जानकारी के साथ रिपोर्ट की गई।

इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए बीमांकिक अभ्यास मानकों और मार्गदर्शन नोट्स और आईआरडीएआई के नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार बीमांकिक सिद्धांतों के आधार पर नियुक्त बीमांकक द्वारा निर्धारित राशि के अनुसार प्रावधान किया गया है।

1.15 समूह अभिरक्षा और निधि लेखा सेवाओं के मामले में आय (माल और सेवा कर घटाकर) को तभी मान्यता दी जाती है जब इसे विश्वसनीय रूप से आकलन किया जा सके और यह संभावना है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे। अभिरक्षा शुल्क, निधि लेखा शुल्क और संदर्भ शुल्क को करार की शर्तों के अनुसार उपचय के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

1.16 समूह के पेंशन निधि व्यवसाय के मामले में प्रबंधन शुल्क को संबंधित योजनाओं के साथ सहमत विशिष्ट दरों पर मान्यता दी जाती है, जो प्रत्येक योजना की दैनिक बकाया परिसंपत्तियों पर लागू होती है और यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है। प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) बिजनेस यानी खाता खोलने की फीस और योगदान प्रसंस्करण शुल्क से कमीशन आय को ग्राहकों से प्राप्त योगदान और स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) के सृजन के आधार पर मान्यता दी जाती है। कंपनी लाभ और हानि खाते में माल और सेवा कर का शुद्ध राजस्व प्रस्तुत करती है।

1.17 समूह ट्रस्टीशिप व्यवसाय के मामले में, म्यूचुअल फंड ट्रस्टीशिप फीस का निर्धारण संबंधित योजनाओं के लिए सहमत की गई विशिष्ट दरों पर किया गया है और प्रत्येक योजना की औसत दैनिक आस्तियों के आधार पर लागू की गई है (अंतर योजना निवेश, स्थायी जमाराशियों में निवेश, आस्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा किए गए निवेश और आस्थगित राजस्व व्यय, जहां कहीं लागू हो, को छोड़कर), तथा सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अंतर्गत निर्दिष्ट की गई सीमाओं के अनुरूप है।

1.17.1. कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप स्वीकृति शुल्क को ट्रस्टीशिप असाइनमेंट की स्वीकृति या निष्पादन, जो भी पहले हो, पर मान्यता दी जाती है। कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप सेवा प्रभार को ग्राहकों के साथ किए गए ट्रस्टीशिप अनुबंधों/समझौते की शर्तों के आधार पर मान्यता दी जाती है।

1.17.2. ऑनलाइन ''वसीयत'' सेवाओं से प्राप्त आय का निर्धारण तब किया जाता है जब शुल्क प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, इसलिए ऐसे आय निर्धारणों की निश्चितता इस समय ऐसे अधिकार प्राप्त होने पर हो जाती है।

1.18 समूह के मर्चेंट एक्वायरिंग बिजनेस के मामले में आय की गणना को छूट, जीएसटी और अन्य लागू करों को छोड़कर प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के आधार पर मापा जाता है और सेवाओं के प्रदर्शन के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

1.18.1. पीओएस लगाने से होने वाले राजस्व को या तो सेवा प्रदान करने की अवधि के दौरान या अनुबंधों में निर्दिष्ट दरों और शर्तों के अनुसार अवधि के दौरान संसाधित किए गए लेनदेन की संख्या के आधार पर हिसाब में लिया जाता है। व्यापारी द्वारा अनुबंध शर्तों के आधार पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर), मासिक किराए और प्रतिबद्धता शुल्क के लिए भुगतान किया जाता है और इसे परिचालन से हुई आय माना जाता है।

1.18.2. रखरखाव परिनियोजन अनुबंध के कारण प्राप्त आय जो उपचित नहीं की जा सकी को आस्थगित आय के रूप में रखा जाता है तथा राजस्व मान्यता मानदंड पूरे होने तक देनदारियों में शामिल किया जाता है। वह उपचित आय जिसका बिल नहीं हुआ है, उन्हें संविदा की शर्तों के अनुसार किए गए कार्य पर मान्यताप्राप्त राजस्व के रूप में गिना जाता है लेकिन बाद की अवधि में इसका बिल होती है।

1.18.3. राजस्व को उस हद तक मान्यता दी जाती है, जहां तक यह संभव है कि आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे, और राजस्व को विश्वस्त रूप से मापा जा सकता है।

2. निवेश :

निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन पर आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को हिसाब में निम्नानुसार लिया जाता है:

2.1 वर्गीकरण :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)", "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "व्यवसाय के लिए धारित" (एचएफटी)।

तुलनपत्र में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों का वर्गीकरण भारत में और भारत के बाहर के निवेश के रूप में किया गया है।

- प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत निवेशों का पुनः वर्गीकरण (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, (iii) शेयर, (iv) बॉन्ड एवं डिबेंचर, (v) अनुषंगियाँ एवं संयुक्त उद्यम और (vi) अन्य के रूप में किया गया है। 'भारत के बाहर के निवेशों' को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) विदेश स्थित अनुषंगियाँ एवं संयुक्त उद्यम और (iii) अन्य निवेश।

2.2 वर्गीकरण का आधार :

i. बैंक जिन निवेशों को परिपक्वता तक रखना चाहता है, उन्हें "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. जिन निवेशों को सिद्धांततः क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है, उन्हें "व्यवसाय के लिए रखे गए (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii. जिन निवेशों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. किसी निवेश को इसके क्रय के समय "परिपक्वता तक धारित", "विक्रय के लिए उपलब्ध" या "व्यवसाय के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उसके पश्चात श्रेणियों में परिवर्तन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

v. जिन निवेशों को बाद में विक्रय के उद्देश्य से ही खरीदा और रखा जाता है, उनको छोड़कर अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों में किए गए निवेशों को परिपक्वता तक धारित निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे निवेशों को "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 मूल्यांकन:

i. सभी प्रतिभूतियों के लेनदेन को निपटान की तिथि पर दर्ज किया जाता है। एसबीआई द्वारा एचएफटी एवं एएफएस श्रेणी के अंतर्गत निवेश लागत का निर्धारण समूह इकाईयों द्वारा भारित औसत लागत पद्धति द्वारा किया जाता है तथा 'परिपक्वता तक धारित' निवेश को 'पहले आओ पहले जाओ' आधार पर निर्धारित किया जाता है अन्य समूह इकाईयों द्वारा इसे भारित औसत लागत पद्धति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

(क) सब्सक्रिप्शन पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया जाता है। निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) आदि को उसी समय के व्यय में शामिल कर लिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

ii. **'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन:**

क) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों की गणना अधिग्रहण लागत में की जाती है। अधिग्रहण पर प्रदत्त कमीशन, अगर

कोई, का परिशोधन नियत आय आधार पर परिपक्वता अवधि के लिए किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को "निवेश पर आय" शीर्ष के अंतर्गत हिसाब में लिया गया है।

(ख) प्रत्येक निवेश के मामले में अस्थायी से इतर कमी की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रावधान किया गया है।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश को आईसीएआई के एएस 23 के अनुसार इक्विटी लागत आधार पर मूल्यांकित किया गया है।

iii. **विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए धारित श्रेणियाँ:**

विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस) एवं व्यवसाय के लिए धारित (एचएफटी) श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों को विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार पुनर्मूल्यन किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से संबद्ध प्रत्येक समूह (जैसे (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (iii) शेयर iv) बॉन्ड एवं ऋणपत्र v) अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम (vi) अन्य) के लिए सिर्फ निवल मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है।

iv. **निवेशों का अंतर-श्रेणी अंतर होने पर मूल्यांकन नीति:**

क) जब एचटीएफ/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण किया जाता है तो उसे अंतरण की तिथि को अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई होने पर, उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

ख) एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण अभिग्रहण मूल्य/बही मूल्य पर किया जाता है। अंतरण के तुरंत बाद इन प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामी मूल्यह्रास के लिए लाभ और हानि खाते में प्रावधान किया जाता है।

v. **प्रतिभूति रसीदों पर प्रतिभूतिकरण कंपनी(एससी) /आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को अनर्जक आस्तियां (वित्तीय आस्तियां) बेचे जाने के मामले में मूल्यांकन:**

क) प्रतिभूति रसीद में निवेश को एससी/आरसी को एनपीए बिक्री के आधार पर प्राप्त किया जाता है, तथा इसे i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य में से प्रावधान घटाकर) ii) प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य, दोनों में जो भी कम हो, को हिसाब में लिया जाता है।

ख) प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन गैर-एसएलआर लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों में प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन संबंधित योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य की गणना ऐसे निवेशों के मूल्यन के लिए की गई है।

vi) ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत आधार पर किया गया है।

2.4 निवेश (एनपीआई)

i. घरेलू कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

(क) ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।

(ख) इक्विटी शेयरों के मामले में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों का मूल्यांकन ₹1/- प्रति कंपनी किया गया है, वहाँ ऐसे इक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

(ग) यदि इकाई द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उसी इकाई/जारीकर्ता द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा। उपर्युक्त नियम आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा, जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) ऐसे डिबेंचरों/ बॉन्डों में निवेश, जिसे अग्रिम माना गया है, पर भी अनर्जक निवेश के वही एनपीआई मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते हैं।

ii. विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु वर्गीकरण एवं प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों, इनमें से जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

2.5 रेपो/रिवर्स रिपो लेनदेन के लिए लेखांकन:

बैंक, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक एवं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ पुनर्खरीद / प्रतिवर्ती पुनर्खरीद लेनदेन करता है। पुनर्खरीद लेनदेन का अर्थ है लेन-देन प्रतिभूतियों को पुनर्खरीद करने के समझौते के साथ प्रतिभूतियों को बेचकर उधार लेना। दूसरी तरफ, रिवर्स रेपो लेनदेन का अर्थ है प्रतिभूतियों को खरीद कर धनराशि उधार देना।

(क) चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ के लेनदेनों को संपार्श्विक उधार देने एवं उधार लेने के लेनदेन के रूप में हिसाब में लिया गया है।

(ख) मार्केट रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों में बेची गई (खरीदी गई) एवं पुनः खरीदी गई (पुनः बेची गई) प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त विक्रय (क्रय) लेनदेन के रूप में हिसाब में लिया गया है और प्रतिभूतियों की ऐसी आवाजही को रिपो/रिवर्स रिपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करके दर्शाया गया है। इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को रिवर्स कर दिया जाता है।

(ग) रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 4 (उधार-राशियाँ) के तहत वर्गीकृत किया गया है ।

(घ) रिवर्स रेपो खाते में 14 दिनों या उससे कम की मूल अवधि के साथ अनुसूची 7 (बैंकों के पास बकाया तथा मांग तथा अल्प सूचना पर प्राय राशि) के तहत वर्गीकृत किया गया है। 14 दिनों से अधिक लेकिन 1 वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाले रिवर्स रेपो को अनुसूची 9 (अग्रिम) के तहत नकद क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकाने योग्य ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी रिवर्स रेपो को अनुसूची 9 (अग्रिम) के तहत सावधि ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा अन्य के पास रेपो लेनदेन की उधार लेने की लागत एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों पर आय को क्रमशः ब्याज व्यय एवं ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया गया है।

2.6 जीवन और सामान्य बीमा सहायक कंपनियों के मामले में, निवेश की गणना, बीमा अधिनियम 1938, आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 और आईआरडीए (वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) विनियम, 2002, की निवेश नीति, आईआरडीएआई द्वारा समय-समय पर जारी कंपनी और विभिन्न अन्य परिपत्र / अधिसूचनाएं के अनुसार किया जाता है।

(i) गैर-संबद्ध बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन :

- सरकारी प्रतिभूतियों एवं मनी मार्केट सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों का अवधिगत लागत के आधार पर प्रीमियम के परिशोधन के अध्यधीन उल्लेख किया गया है।
- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का तुलनपत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई (बीएसई) पर बाजार बंद होने के समय उपचय आखिरी मूल्य में से निचले मूल्य को शामिल किया जाता है। अगर एनएसई बाज़ार बंद मूल्य उपलब्ध नहीं हे तो, द्वितीयक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड (बीएसई) का मूल्य लिया जाता है।
- असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, इक्विटी संबंधित लिखतों और अधिमानी शेयरों का आकलन अवधिगत लागत आधार पर किया जाता है।
- प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने (एसएलबी) के मामले में, उधार दिए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन यथा उल्लिखित इक्विटी शेयरों की मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है।
- आईआरडीएआई द्वारा यथा निर्दिष्ट 'इक्विटी' के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर-I (बेसल-III अनुपालक) बेमियादी बॉन्ड का मूल्यांकन क्रिसिल से प्राप्त मूल्य के आधार पर किया जाता है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में निवेश का जीवन बीमा में पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर और साधारण बीमा में तुलनपत्र की तारीख को मूल्यांकन किया जाता है।
- वैकल्पिक निवेश निधियों में निवेश का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध एनएवी के आधार किया जाता है।
- आरईआईटी/इनविट यूनिट में निवेश का बाजार मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है (अंतिम उद्धृत मूल्य 30 दिनों के बाद का नहीं होना चाहिए)। बाजार मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से, प्राथमिक एक्सचेंज यानी एनएसई पर समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। अगर एनएसई बंद भाव किसी प्रतिभूति के लिए उपलब्ध नहीं है, तो मूल्यांकन के लिए बीएसई बंद भाव का इस्तेमाल किया जाता है। जहां पिछले 30 दिनों के लिए बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, यूनिटों का मूल्यांकन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित इकाइयों के नवीनतम एनएवी (6 महीने से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार किया जाता है।

  शेयरधारकों के निवेशों और गैर-संबद्ध पॉलिसी धारकों के निवेशों के संबंध में सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों, एआईएफ एवं आरईआईटी/इनविट की यूनिट के उचित मूल्य में परिविर्तन के कारण होने वाले वसूल नहीं हुए लाभ या हानियों को तुलनपत्र में क्रमश: ''आय और अन्य आरक्षितियां (अनुसूची 2)'' में और ''बीमा व्यवसाय में पॉलिसी धारकों से संबंधित देयताएं (अनुसूची 5)'' में शामिल किए गए हैं।

(ii) संबद्ध व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन:

- एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग इन्फोर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल) से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है। एक वर्ष या उससे कम की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी और अन्य ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन परिपक्वता आय के आधार पर किया जाता है तथा जहां पर आय की गणना क्रिसिल द्वारा प्रतिभूति को अल्पावधि वर्गीकृत करने के दिन पर उपलब्ध कराए गए बाज़ार मूल्य पर किया जाता है। अगर प्रतिभूति को उसकी अल्पावधि समय के दौरान खरीदा गया है तो उसका मूल्यांकन परिपक्वता पर आय पद्धति

का प्रयोग कर परिशोधित लागत पर किया जाता है। ऑप्शन विकल्प वाली प्रतिभूतियों के मामले में, इस प्रयोजन हेतु सबसे पहली कॉल ऑप्शन/पुट ऑप्शन वाली तारीख को परिपक्वता तारीख माना जाएगा। मनी मार्केट प्रतिभूतियों का परंपरागत लागत पर मूल्यांकन किया जाता है बशर्ते कि प्रीमियम का परिशोधन या आय पर छूट की वृद्धि परिपक्वतवा आधार पर आय से हो।

- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का तुलनपत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई (बीएसई) पर बाजार बंद होने के समय उपचय आखिरी मूल्य में से निचले मूल्य को शामिल किया जाता है। अगर एनएसई बाज़ार बंद मूल्य उपलब्ध नहीं हे तो, द्वितीयक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड (बीएसई) का मूल्य लिया जाता है।
- असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, इक्विटी संबद्ध लिखत एवं अधिमानी शेयर को परंपरागत लागत आधार पर मापा जाता है।
- प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के मामले में, उधार दिए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन नीति के अनुसार किया जाता है जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है।
- आईआरडीए द्वारा यथा निर्दिष्ट `इक्विटी' के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर-I (बेसल-III अनुपालक) बेमियादी बॉन्ड का मूल्यांकन क्रिसिल से प्राप्त मूल्य के आधार पर किया जाता है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में किए गए निवेशों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है।।
- आरईआईटी/इनविट की इकाइयों में निवेश का बाजार मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है (अंतिम उद्धृत मूल्य 30 दिनों के बाद का नहीं होना चाहिए)। बाजार मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से, प्राथमिक एक्सचेंज यानी एनएसई पर समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। अगर एनएसई बंद भाव किसी सिक्योरिटी के लिए उपलब्ध नहीं है, तो मूल्यांकन के लिए बीएसई बंद भाव का इस्तेमाल किया जाता है। जहां पिछले 30 दिनों के लिए बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, यूनिटों का मूल्यांकन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित इकाइयों के नवीनतम एनएवी (6 महीने से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार किया जाता है।
- उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण होने वाले वसूल नहीं हुए लाभों या हानियों को लाभ एवं हानि खाते में दिखाया जाता है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान: :

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों/निदेशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण निम्नानुसार अर्जक और अनर्जक के रूप में किया गया है:

i. अगर ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है; तो सावधि ऋण को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ii. ओवरड्राफ्ट या नकदी-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता "असंगत" ("आउट ऑफ आर्डर)" रहने अर्थात् बकाया शेष राशि लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक हो जाने या तुलनपत्र की तिथि तक लगातार 90 दिनों तक किसी भी राशि को जमा नहीं किए जाने अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त होने पर इन्हें अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहने पर उन्हें अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है;

iv. कृषि अग्रिमों के मामले में यदि (क) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल-मौसमों के लिए अतिदेय रहते हैं एवं (ख) दीर्घावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहते हैं, उन्हें अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है:

i. अवमानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक है।

ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक रही है।

iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि की पहचान की गई है, किंतु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते नहीं डाला गया है।

3.3 विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन हैं:

अवमानक आस्तियाँ :	i. कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान
	ii. प्रारंभ से ही अप्रतिभूत ऋण जोखिमों के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति की वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है)
	iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिम खातों, जहाँ निलंब खाते आदि जैसे कुछ बचाव उपाय उपलब्ध हैं, से संबंधित प्रतिभूति-रहित ऋण जोखिम - 20 %

संदिग्ध आस्तियां : - प्रतिभूत हिस्सा	एक वर्ष तक - 25% एक से तीन वर्ष - 40% तीन वर्ष से अधिक- 100%
अप्रतिभूत हिस्सा	100%
हानिप्रद आस्तियां :	100%

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों इनमें से जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

3.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर हानियों के लिए किए गए प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।

3.6 पुनर्रचित/पुन: निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप संबंधित ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान के अलावा पुनर्रचना के पहले एवं बाद ऋण/अग्रिम के उचित मूल्य के अंतर के लिए भी प्रावधान किया जाता है। उपरोक्त मामलों में अंकित मूल्य में कमी एवं छोड़ दिए गए ब्याज के लिए यदि कोई अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है, तो वह राशि अग्रिम से घटा दी जाती है।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षो में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण वसूल किए गए वर्ष में आय के रूप में किया गया है।

3.9 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएँ और प्रावधान- अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दिए गए हैं एवं निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

3.10 बैंक द्वारा विशिष्ट गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों और परिसंपत्तियों पर अतिरिक्त प्रावधान भी किया जाता है।

3.11 अनर्जक आस्तियों में वसूली का समायोजन निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है:

क. प्रभार, लागत, कमीशन आदि

ख. अप्राप्त ब्याज/ब्याज

ग. मूलधन

तथापि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के जरिए समझौता एवं समाधान/निपटान के मामलों में वसूलियों का समायोजन संबंधित समझौता/समाधान/निपटान की शर्तों के अनुसार किया जाता है। वाद दायर किए गए खातों में वसूली का समायोजन संबंधित न्यायालयों के निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4. अस्थिर प्रावधान एवं प्रतिचक्रीय (काउंटर साइक्लिकल) प्रावधान बफर :

बैंक में अग्रिमों, निवेश तथा सामान्य प्रयोजनों हेतु अच्छे समय में प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर तथा अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग की नीति विद्यमान है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधान एवं प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर की मात्रा का निर्धारण वित्त वर्ष के अंत में किया जाता है। प्रतिचक्रीय प्रावधानों का प्रयोग केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है।

5. बैंकिंग इकाईयों के लिए देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा - नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। इस प्रावधान को तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्स:

6.1 विदेशी मुद्रा ऑप्शन, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप, पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर स्वैप और तुलनपत्र से बाहर/बैलेंस शीट से इतर परिसंपत्तियों और देनदारियों को हेज करने के लिए या व्यापारिक उद्देश्यों के लिए बैंक द्वारा डेरिवेटिव करार किया जाता है। तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए हेजिंग करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो। इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे हेजिंग लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

6.2 हेज के रूप में वर्गीकृत डेरिवेटिव कॉन्ट्रेक्ट्स को संचय के आधार पर दर्ज किया गया है। हेज कॉन्ट्रेक्ट्स की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती, जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों।

6.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई है। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक समय के लिए अतिदेय रहती है, को लाभ और हानि खाते से

"उचंती खाता - क्रिस्टलाइज्ड रिसीवेबल्स" में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरिवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती हैं और यदि ये डेरिवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य राशियाँ 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गई हो, तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से "उचंती खाता - पॉजिटिव एमटीएम" में प्रतिवर्तित किया जाता है।

6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर (ओटीसी) ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

6.5 सौदों के उद्देश्य से एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दी गई प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

7. अचल आस्तियाँ, मूल्यह्रास और परिशोधन:

7.1 अचल आस्तियों का अंकन लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन घटाकर किया गया है। पुनर्मूल्यांकन की तारीख को संचित मूल्यह्रास घटाने के बाद उचित मूल्य होने के कारण पूर्ण स्वामित्व वाले परिसरों का अंकन पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व अदा की गई प्रोफेशनल फीस शामिल है। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय/व्ययों को केवल तभी पूंजीकरण किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं। देशी कार्यालयों की अचल आस्तियों का मूल्यह्रास आस्तियों की उपयोगिता अवधि के आधार पर निम्नानुसार सीधी रेखा पद्धति पर किया गया है:

क्र. सं.	अचल आस्तियों का विवरण	उपयोगिता अवधि
1	कंप्यूटर	3 वर्ष
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग है	3 वर्ष
3	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है और सॉफ्टवेयर विकसित करने का खर्च	3 वर्ष
4	ऑटोमेटेड टैलर मशीन/कैश डिपॉजिट मशीन/क्वाइन डिस्पेंसर/क्वाइन वेंडिंग मशीन	5 वर्ष
5	सर्वर	4 वर्ष
6	नेटवर्क उपकरण	5 वर्ष
7	अन्य प्रमुख अचल आस्तियां :	
	परिसर	60 वर्ष
	वाहन	5 वर्ष
	सुरक्षित जमा लॉकर	20 वर्ष
	फर्नीचर व फिक्सचर	10 वर्ष

7.3 वर्ष के दौरान देशी परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास वर्ष में आस्ति का उपयोग करने के दिनों के अनुपात के आधार पर प्रभारित किया गया है।

7.4 आस्तियाँ जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1000/- से कम था, उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.5 पट्टाकृत परिसरों से संबद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो तो, को पट्टा अवधि में (परिसर एवं बेमियादी पट्टे पर भूमि को छोड़कर) परिशोधित किया गया है और परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए किए गए पट्टा भुगतानों को पट्टे की अवधि में सीधी रेखा आधार पर लाभ एवं हानि खाते में व्यय के रूप में हिसाब में लिया गया है।

7.6 विदेश स्थित कार्यालयों की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

7.7 बैंक प्रत्येक तीन वर्षों में पूर्ण स्वामित्व की अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन करता है। पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्ति के निवल बही मूल्य में वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया जाता है। इन्हें लाभ और हानि खाते में नहीं दिखाया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्ति के मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों से अन्य राजस्व आरक्षिति को विनियोजित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन के समय यथामूल्यांकित आस्तियों की शेष उपयोगी अवधि पर किया जाता है।

8. पट्टे :

ऊपर पैरा 3 में निर्धारित किए गए अनुसार आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड वित्तीय पट्टों पर भी लागू हैं।

9. आस्तियों के मूल्य में कमी:

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की उचित राशि की वसूली होना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों के मूल्य में आई कमी की समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयुक्त आस्तियों की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति की उचित राशिकी तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है, तो अपसामान्यता का माप उस राशि के आधार पर किया जाता है, जो आस्ति की उचित राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर होता है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव:

10.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन :

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को प्रारंभिक निर्धारण पर सूचित मुद्रा में रिकॉर्ड किया जाता है तथा इसके लिए लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि का प्रयोग किया जाता है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम (फॉरवर्ड/स्पॉट) दरों का प्रयोग करके रिपोर्ट की जाती है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके रिपोर्ट की जाती है।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम स्पॉट रेट का प्रयोग करके रिपोर्ट की जाती है।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट एवं फॉरवर्ड संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. वह विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड संविदाएं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, को क्लोज़िंग स्पॉट दर पर पुनः मूल्यांकन किया जाता है। ऐसी फॉरवर्ड एक्सचेंज संविदा के प्रारंभ से उत्पन्न प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. आरंभ में दर्ज की गई दरों से भिन्न दरों पर मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न विनिमय अंतर राशियों को उसी अवधि की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसमें ये अंतर उत्पन्न हुआ है।

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की खुली स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन :

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और ओवरसीज़ बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) को गैर-समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. गैर-समाकलित परिचालन:

i. गैर समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।

ii. गैर समाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित तिमाही की औसत अंतिम दर पर परिवर्तित किया गया है।

iii. निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर- राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है।

iv. विदेशी कार्यालयों की विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) तुलनपत्र की तिथि उस देश पर लागू हाजिर दर का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया है।

ख. समाकलन परिचालन:

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को प्रारंभिक निर्धारण पर सूचित मुद्रा में रिकॉर्ड किया जाता है तथा इसके लिए लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि का प्रयोग किया जाता है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों (हाजिरी/वादा) पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताएं हाजिर (स्पॉट) दर पर रूपांतरित की गई हैं।

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके रिपोर्ट की जाती है।

11. कर्मचारी हितलाभ :

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ :

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कि कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, ऐसे अल्पावधि कर्मचारी हितलाभों की गैर-बट्टाकृत राशियों को कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान हिसाब में लिया जाता है।

11.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजनाएं :

क. भारतीय स्टेट बैंक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है। सभी पात्र कर्मचारी बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत ये हितलाभ

प्राप्त करने के हकदार हैं। बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो, तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भविष्य निधि में योगदान करती है। भविष्य निधि का संचालन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। योजनाओं के अधीन संदत्त या संदेय अभिदाय उस अवधि के दौरान लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, वैधानिक दर के अनुसार ब्याज देयता की तुलना में अंशदान पर देय ब्याज पर देय ब्याज की कमी को मान्यता देने के लिए एक स्वतंत्र लेखा द्वारा वार्षिक आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है।

ख. बैंक, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है। बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य राशि होती है, जो सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अध्यधीन रहती है। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

ग. बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और यह भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। यह हितलाभ नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में प्राप्त होता है। बैंक एसबीआई पेंशन निधि नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का मासिक अंशदान करता है। पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है और बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियमों के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए आवधिक आधार पर इस निधि में अतिरिक्त अंशदान करता है।

घ. नियत हितलाभ प्रदान करने संबंधी लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि में तुरंत शामिल कर दिया जाता है और उन्हें आस्थगित नहीं किया जाता है।

ii. नियत अंशदान योजना :

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है और ऐसे नए कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं हैं। इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की 10% राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे और इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा एवं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा। बैंक इन वार्षिक अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को संबंधित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ :

क. बैंक का प्रत्येक पात्र कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा-रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।

ख. अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि में तुरंत शामिल कर दिया जाता है और उन्हें आस्थगित नहीं किया जाता है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया जाता है।

12. खंड रिपोर्टिंग

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुसार व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्ट खंड तथा भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मानता है।

13. आय पर कर :

बैंक द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर तथा आस्थगित कर व्यय की कुल राशि आयकर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 तथा लेखा मानक 22, जो 'आय पर कर का लेखांकन' से संबंधित है, के अनुसार किया जाता है और ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट हैं। आस्थगित कर-आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष की कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रनीत हानि के बीच के अवधिगत अंतर के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है।

आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तारीख को लागू या बाद में लागू कर दरों और कर नियमों द्वारा मापा जाता है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया जाता है। क्या आस्थगित कर आस्तियों की वसूली निश्चित है, इस बारे में प्रबंधन के निर्णय के आधार पर उनको प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को हिसाब में लिया जाता है और उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। अग्रानीत आस्थगित कर आस्तियों को गैर-आमेलित मूल्यह्रास और कर घाटा के रूप में तभी माना जाता है, जब यह निश्चित रूप से प्रमाण द्वारा समर्थित हो कि इस तरह की आस्थगित कर संपत्ति को भविष्य के लाभ के रूप में वसूल किया जा सकता है।

समेकित वित्तीय विवरण् में, आयकर व्यय बैंक एवं उसकी अनुपंगियों / संयुक्त उद्यमों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में उनके लागू कानूनों के अनुसार प्रदर्शित होने वाले कर व्यय की कुल राशि है।

14. प्रति शेयर आय:

14.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय सूचित करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को प्राप्य उस वर्ष के कर पश्चात निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

14.2 कम की हुई प्रति शेयर आय से वह संभावित कमी सूचित होती है, जो इक्विटी शेयरों को जारी करने हेतु प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने पर घटती है। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना वाले इक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां:

15.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी लेखा मानक 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" के अनुरूप बैंक प्रावधान को तभी मानता है, जब उसमें पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व उत्पन्न हुआ हो और इससे देयता की पूर्ति करने के लिए आर्थिक लाभों से जुड़े संसाधनों का संभावित बहिर्गमन हो तथा जब देयता की राशि का सही आकलन किया जा सके।

15.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है:

i. पिछले परिणामों से उत्पन्न किसी संभावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उत्पन्न हुआ है, किंतु उसे संज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि :-

क. यह संभव नहीं है कि दायित्व की पूर्ति हेतु आर्थिक लाभों से जुड़े संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ख. दायित्व की पूर्ति हेतु राशि का सही आकलन नहीं किया जा सकता।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है। इन दायित्वों का मूल्यांकन नियमित अंतरालों पर किया जाता है। केवल उन अपवादात्मक परिस्थितियों जहां, कोई सही आकलन नहीं किया जा सकता, को छोड़कर ऐसे दायित्व के केवल उस अंश के लिए प्रावधान किया जाता है, जिसके आर्थिक लाभों से जुड़े संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है।

15.3 बैंक के डेबिट कार्डधारकों को दिए जाने वाले रिवार्ड प्वाइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकिक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

15.4 जब किसी संविदा से बैंक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित लाभ, उस संविदा के अधीन भावी दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत से कम होते हैं तो अवधिक संविदाओं के लिए उपबंध मान्य होते हैं। प्रावधान राशि का निर्धारण संविदा को समाप्त करने के संभावित न्यूनतम व्यय के वर्तमान मूल्य एवं संविदा को जारी रखने के संभावित निवल व्यय पर किया जाता है। प्रावधान की राशि का निर्धारण करने से पूर्व बैंक द्वारा संविदा से जुड़ी आस्तियों पर नुकसान को हिसाब में लिया जाता है।

15.5 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

16. सर्राफा लेनदेन:

बैंक अपने ग्राहकों को बेचने के लिए परेषण आधार पर बहुमूल्य धातुओं की छड़ों समेत सर्राफा का आयात करता है। ये आयात सामान्यता दुतरफा आधार पर होते हैं और ग्राहकों के लिए इनकी कीमत आपूर्तिकर्ता द्वारा मांगी गई कीमत के आधार पर तय होती है। बैंक इस तरह के सर्राफा लेनदेन पर शुल्क के रूप में आय प्राप्त करता है। इस शुल्क की गणना कमीशन आय के अंतर्गत होती है। बैंक द्वारा स्वर्ण जमा किया जाता है और इस पर उधार भी देता है, जिसे जमा/अग्रिम (जो भी हो) माना जाता है। इसमें भुगतान किए गए/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। स्वर्ण जमा, धातु ऋण अग्रिम तथा अंतिम स्वर्ण शेष को तुलन-पत्र की तिथि पर उपलब्ध बाजार दर पर मूल्य निर्धारित किया जाता है।

17. विशेष आरक्षित निधियां:

राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल है। बैंक के निदेशक मंडल ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन के लिए अनुमोदन किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने की कोई मंशा नहीं है।

18. शेयर निर्गम व्यय :

शेयर निर्गम व्ययों हेतु शेयर प्रीमियम खाते को प्रभारित किया जाता है।

19. नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास का नकद एवं शेष, बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय धन शामिल है।

अनुसूची 18 लेखा टिप्पणियां :

1. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए शामिल की गई अनुषंगियां/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों की सूची:

समेकित वित्तीय विविरण तैयार करने में जिन 14 ग्रामीण बैंको सहित 27 अनुषंगियों 8 संयुक्त उद्यमों एवं 18 सहयोगियो, वर्ष के दौरान विलय / निकास की संबंधित तिथियों से / तक (जो मुख्य संस्था भारतीय स्टेट बैंक के साथ समूह बनाते हैं) शामिल हैं, का विविरण निम्नानुसार है-

ए) अनुषंगियां:

क्रमांक	सहायक का नाम	निगमन देश	समूह की हिस्सेदारी (%)	
			वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
2)	एसबीआईसीएपी सिक्योरिटीज लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
3)	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
4)	एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
5)	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लिमिटेड	सिंगापुर	100.00	100.00
6)	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	भारत	72.17	72.17
7)	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	भारत	86.18	86.18
8)	एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
9)	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
10)	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड@	भारत	74.00	74.00
11)	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	भारत	92.52	92.58
12)	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	55.48	55.50
13)	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	69.96	70.00
14)	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड	भारत	69.20	69.39
15)	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्विसेज प्रा. लिमिटेड @	भारत	65.00	65.00
16)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड @	भारत	62.59	62.88
17)	एसबीआई फंड मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड @	मारीशस	62.59	62.88
18)	वाणिज्यिक इंडो बैंक एलएलसी, मास्को @	रूस	60.00	60.00
19)	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड (07.09.2021 तक)	बोत्सवाना	100.00	100.00
20)	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	100.00	100.00
21)	भारतीय स्टेट बैंक (कैलीफोर्निया)	अमेरिका	100.00	100.00
22)	भारतीय स्टेट बैंक (यूके) लिमिटेड	यूके	100.00	100.00
23)	भारतीय स्टेट बैंक सर्विको लिमिटडा	ब्राज़ील	100.00	100.00
24)	एसबीआई (मॉरीशस) लिमिटेड	मॉरीशस	96.60	96.60
25)	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	99.34	99.00
26)	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	नेपाल	55.00	55.00
27)	नेपाल एसबीआई मर्चेंट बैंकिंग लिमिटेड	नेपाल	55.00	55.00

@ उन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है जो शेयरधारकों के समझौते के अनुसार संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं हैं. हालाँकि, इन्हें सहायक कंपनियों के रूप में एएस 21 “समेकित वित्तीय विवरण” के अनुसार समेकित किया जाता है क्योंकि इन कंपनियों में एसबीआई की हिस्सेदारी 50% से अधिक है.

बी) संयुक्त उद्यम:

क्रमांक	संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन - देश	समूह की हिस्सेदारी (%)	
			वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1)	सी - एज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	भारत	49.00	49.00
2)	एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड	भारत	45.00	45.00
3)	एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लिमिटेड	भारत	45.00	45.00
4)	मैक्वेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई. लिमिटेड	सिंगापुर	45.00	45.00
5)	मैक्वेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लिमिटेड	बरमुडा	45.00	45.00
6)	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड - मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड	भारत	50.00	50.00
7)	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड	भारत	50.00	50.00
8)	जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	भारत	30.00	30.00

सी) सहयोगी:

क्रमांक	सहयोगी का नाम	इसके निगमन का देश	समूह की हिस्सेदारी (%)	
			वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1)	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	35.00	35.00
2)	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
3)	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
4)	एलाक्वाई देहाती बैंक	भारत	35.00	35.00
5)	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
6)	मेघालय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
7)	मिजोरम ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
8)	नागालैंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
9)	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
10)	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
11)	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
12)	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
13)	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
14)	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
15)	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड	भारत	20.05	20.05
16)	येस बैंक लिमिटेड	भारत	30.00	30.04
17)	बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड	भूटान	20.00	20.00
18)	इन्वेस्टेक कैपिटल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	भारत	19.70	-

क) अनुमोदित कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी) के तहत विकल्पों का प्रयोग करने के अनुसरण में, निम्नलिखित समूह संस्थाओं ने अपने पात्र कर्मचारियों को इक्विटी शेयर जारी किए हैं: -

i) एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 10 प्रत्येक के 26,47,033 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। नतीजतन, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड में एसबीआई की हिस्सेदारी 69.39% से घटकर 69.20% हो गई है।

ii) एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 10 प्रत्येक के 2,99,654 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। नतीजतन, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एसबीआई की हिस्सेदारी 55.50 % से घटकर 55.48% हो गई है।

iii) एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 1 प्रत्येक के 23,80,464 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। नतीजतन, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड में एसबीआई समूह की हिस्सेदारी 62.88% से घटकर 62.59% हो गई है। नतीजतन, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड और एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड में एसबीआई ग्रुप की हिस्सेदारी क्रमशः 62.88% और 92.58% से घटकर 62.59% और 92.52% हो गई है।

iv) एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने मार्च 31,2022 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 10 प्रत्येक के 1,16,720 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। नतीजतन, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एसबीआई की हिस्सेदारी 70.00% से घटकर 69.96% हो गई है।

v) येस बैंक लिमिटेड ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 2 प्रत्येक के 47,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं।

b) डीएफएस अधिसूचना के अनुसार डीओ. सं. 3/9/2020-आरआरबी दिनांक 21 फरवरी, 2022 के अनुसार, एसबीआई ने निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में अपने हिस्से की अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया है। पूंजी निवेश के बाद एसबीआई की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

₹ करोड़ में

क्रमांक	आरआरबी का नाम	एसबीआई द्वारा निवेश की गई राशि
i.	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	0.46
ii.	एलाक्वाई देहाती बैंक	34.92
iii.	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक	1.59
iv.	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	198.59
v.	मिजोरम ग्रामीण बैंक	11.82
vi.	नागालैंड ग्रामीण बैंक	2.36
vii.	उत्कल ग्रामीण बैंक	239.16
viii.	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	38.84
	कुल	**527.74**

एसबीआई द्वारा एलाक्वाई देहाती बैंक, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, मिजोरम ग्रामीण बैंक और उत्कल ग्रामीण बैंक में निवेश की गई अतिरिक्त पूंजी राशि अब शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट के तहत रखी गई हैं।

ग) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, एसबीआई ने निम्नलिखित में अतिरिक्त पूंजी निवेश किया है:

i) संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में ₹ 9.48 करोड़ का निवेश। पूंजी निवेश के बाद एसबीआई की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

ii) एक अनुषंगी कंपनी, पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया, में ₹ 341.26 करोड़ का निवेश। नतीजतन, अनुषंगी में एसबीआई की हिस्सेदारी 99.00% से बढ़कर 99.34% हो गई है।

घ) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड एवं अनुषंगी ने येस बैंक लिमिटेड, के 94,01,256 इक्विटी शेयर बेचे हैं जिसमें ₹ 0.69 करोड़ का लाभ हुआ है। नतीजतन, येस बैंक लिमिटेड में समूह की हिस्सेदारी 30.04% से घटकर 30.00% हो गई है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए पिछले वर्ष में, एसबीआई और उसकी सहायक कंपनी ने फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर के माध्यम से एक सहयोगी येस बैंक लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में ₹ 3,176 करोड़ का निवेश किया था। इसके बाद, एसबीआई की सहायक कंपनी ने येस बैंक लिमिटेड के शेयरों का एक निश्चित हिस्सा बेच दिया है । 31 मार्च, 2021 को समूह की हिस्सेदारी घटकर 30.04% हो गई, जो 31 मार्च, 2020 को 48.21% थी।

ङ) बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड, एसबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने 30 जून, 2021 को स्थानीय नियामक के अनुमोदन से अपना बैंकिंग लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। कंपनी को 07 सितंबर, 2021 को कंपनी और बौद्धिक संपदा प्राधिकरण, बोत्सवाना से भी अपंजीकृत कर दिया गया है।

च) एसबीआईकैप (सिंगापुर) लिमिटेड और एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय विवरण गैर-कार्यशील संस्था आधार पर शामिल किए गए है। हालांकि, लेखा आधार को गैर-कार्यशील संस्था आधार पर से वित्तीय विवरण पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है। विवरण इस प्रकार है:-

i) एसबीआईकैप (सिंगापुर) लिमिटेड, एसबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, ने सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ('MAS') द्वारा जारी अपने पूंजी बाजार सेवा लाइसेंस (सीएमएसएल) को सरेंडर करने के लिए आवेदन किया था। एमएएस ने 04 मई, 2021 को एक ईमेल के माध्यम से ईमेल की तारीख से कैपिटल मार्केट सर्विस लाइसेंस को रद्द करने की मंजूरी दी। 31 दिसंबर, 2021 को निदेशक मंडल ने कंपनी को बंद करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और इस तरह के समापन के उद्देश्य के लिए लिक्विडेटर नियुक्त किया।

ii) एसबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने 11 जनवरी, 2022 को हुई अपनी बोर्ड बैठक में "स्वैच्छिक परिसमापन" के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। अनुषंगी ने एक लिक्विडेटर नियुक्त किया है तथा यह दिवालियापन और शोधन संहिता 2016 के तहत परिसमापन की प्रक्रिया में है।

2022 को समाप्त वर्ष के लिए उपरोक्त अनुषंगियों की कुल संपत्ति, कुल आय और कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) निम्नानुसार है: -

₹ करोड़ में

विवरण	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लिमिटेड	एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
कुल संपत्ति	59.88	3.89
कुल आय	0.89	0.09
कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानि)	(1.69)	(7.86)

छ) एसबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड ने इन्वेस्टेक कैपिटल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) में ₹ 55.00 करोड़ का निवेश करके 19.70% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। कंपनी को एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड द्वारा एक सहयोगी के रूप में माना जाता है।

ज) एसबीआई की अनुषंगी, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तदनुसार, अनुषंगी का नाम बदलकर "एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड" कर दिया गया है।

झ) एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड, एक सहयोगी जिसमें समूह की 26% हिस्सेदारी है, परिसमापन के अधीन है और इसलिए, लेखा मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में समेकन के लिए विचार नहीं किया जा रहा है।

ञ) चूंकि एसबीआई फाउंडेशन एक गैर-लाभकारी कंपनी है [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7(2) के तहत निगमित], एसबीआई फाउंडेशन को लेखा मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में समेकन के लिए विचार नहीं किया जा रहा है।

1.2 समूह के वित्तीय वर्ष 2021-22 के समेकित वित्तीय विवरणों में एक अनुषंगी (एसबीआई कनाडा बैंक) और एक सहयोगी (बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड) के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं, जिसके परिणाम महत्वपूर्ण नहीं हैं।

2. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

2.1 लेखा मानक 5 - "अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन"

- वर्ष के दौरान, महत्वपूर्ण पूर्व अवधि आय/व्यय के मद नहीं थे।
- 2021-2022 के दौरान अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में पिछले वित्तीय वर्ष 2020-2021 की तुलना में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

2.2 लेखा मानक- 15 "कर्मचारी हित लाभ":

2.2.1 नियत हितलाभ योजनाएं

2.2.1.1 कर्मचारी पेंशन योजनाएँ और उपदान योजनाएँ

निम्नलिखित तालिका एएस 15 (संशोधित 2005) के तहत आवश्यक नियत हित लाभ पेंशन योजनाओं और उपदान योजना की स्थिति निर्धारित करती है:

₹ करोड़ में

विवरण	पेंशन योजनाएं		उपदान योजनाएं	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2021 को आरंभिक नियत हितलाभ दायित्व	**1,25,806.37**	**1,09,830.37**	**13,727.65**	**13,090.13**
वर्तमान सेवा लागत	914.92	970.09	499.18	469.35
ब्याज लागत	8,680.64	7,501.41	933.40	893.87
पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	11,124.14	-	8.35	-
बीमांकिक हानियां /(लाभ)	9,789.06	15,822.32	46.35	1,195.02
भुगतान किया गया लाभ	(4,926.71)	(3,475.67)	(2,179.92)	(1,920.72)
एसबीआई द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(5,263.43)	(4,842.15)	-	-
31 मार्च 2022 को अंतिम नियत हित लाभ दायित्व	**1,46,124.99**	**1,25,806.37**	**13,035.01**	**13,727.65**

₹ करोड़ में

विवरण	पेंशन योजनाएं		उपदान योजनाएं	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2021 को योजनागत आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	**1,06,445.86**	**97,458.52**	**11,210.84**	**10,775.10**
योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	7,344.76	6,656.42	762.11	735.81
नियोक्ता द्वारा अंशदान	22,163.77	2,100.68	1,504.26	1,277.03
कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान	-	-	-	-
भुगतान किया गया लाभ	(4,926.71)	(3,475.67)	(2,179.92)	(1,920.72)
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	(436.95)	3,705.91	(74.83)	343.62
31 मार्च 2022 को योजनागत आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य	**1,30,590.73**	**1,06,445.86**	**11,222.46**	**11,210.84**
दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2022 को निधिगत दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1,46,124.99**	**1,25,806.37**	**13,035.01**	**13,727.65**
31 मार्च 2022 पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1,30,590.73	106,445.86	11,222.46	11,210.84
घाटा/(अधिशेष)	15,534.26	19,360.51	1,812.55	2,516.81
गैर-मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत (निहित) समापन शेष	-	-	-	-
गैर-मान्यता प्राप्त संक्रमणकालीन देयता समापन शेष	-	-	-	-
शुद्ध देयता /(संपत्ति)	**15,534.26**	**19,360.51**	**1,812.55**	**2,516.81**
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि				
देयताएं	1,46,124.99	1,25,806.37	13,035.01	13,727.65
आस्तियों	1,30,590.73	1,06,445.86	11,222.46	11,210.84
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता/(आस्ति)	15,534.26	19,360.51	1,812.55	2,516.81
गैर-मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत (निहित) समापन शेष	-	-	-	-
गैर-मान्यता प्राप्त संक्रमणकालीन देयता समापन शेष	-	-	-	-
निवल देयता/(आस्ति)	**15,534.26**	**19,360.51**	**1,812.55**	**2,516.81**
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त शुद्ध लागत				
वर्तमान सेवा लागत	914.92	970.09	499.18	469.35
ब्याज लागत	8,680.64	7,501.41	933.40	893.87
योजनागत आस्ति पर संभावित लाभ	(7,344.76)	(6,656.42)	(762.11)	(735.81)
कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित योगदान	-	-	-	-
पिछली सेवा लागत (परिशोधन) मान्यता प्राप्त	-	-	-	-
पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) मान्यता प्राप्त	11,124.14	-	8.35	-
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक हानियां / (लाभ)	10,226.01	12,116.41	121.18	851.40
अनुसूची 16 में शामिल नियत हित लाभयोजनाओं की कुल लागत "कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान"	**23,600.95**	**13,931.49**	**800.00**	**1,478.81**
प्रत्याशित प्रतिलाभ और योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ का मिलान				
योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	7,344.76	6,656.42	762.11	735.81
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(436.95)	3,705.91	(74.83)	343.62
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक लाभ	**6,907.81**	**10,362.33**	**687.28**	**1,079.43**

₹ करोड़ में

विवरण	पेंशन योजनाएं		उपदान योजनाएं	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
तुलन पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के आरंभिक अधिशेष व इतिशेष का समाधान				
1 अप्रैल 2021 के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता/(आस्ति)	**19,360.51**	**12,371.85**	**2,516.81**	**2,315.03**
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	23,600.95	13,931.49	800.00	1,478.81
एसबीआई द्वारा सीधे भुगतान किया गया	(5,263.43)	(4,842.15)	-	-
अन्य प्रावधान के लिए नामे डाला गया	-	-	-	-
आरक्षित निधियों में शामिल	-	-	-	-
नियोक्ता का अंशदान	(22,163.77)	(2,100.68)	(1,504.26)	(1,277.03)
तुलन पत्र में शामिल की गई निवल देयता/(आस्ति)	**15,534.26**	**19,360.51**	**1,812.55**	**2,516.81**

31 मार्च, 2022 को उपदान निधि और पेंशन निधि की योजनागत आस्ति के तहत किए गए निवेश इस प्रकार हैं:

आस्ति की श्रेणी	पेंशन निधि	उपदान निधि
	योजना आस्तियों का %	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार प्रतिभूति	19.72%	18.72%
राज्य सरकार प्रतिभूति	34.84%	36.04%
ऋण प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियां और बैंक जमा	31.50%	29.65%
ईटीएफ और म्यूचुअल फंड	10.26%	9.96%
बीमाकर्ता प्रबंधित निधि	1.31%	4.03%
अन्य	2.37%	1.60%
कुल	**100.00%**	**100.00%**

प्रमुख बीमांकिक आकलन:

विवरण	पेंशन योजनाएं	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.35%	6.90%
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिलाभ दर	7.35%	6.90%
वेतन वृद्धि दर	5.80%	5.60%
पेंशन वृद्धि दर	1.60%	1.20%
पलायन दर	2.00%	2.00%

विवरण	उपदान योजनाएं	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.27%	6.82%
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिलाभ दर	7.27%	6.82%
वेतन वृद्धि दर	5.80%	5.60%
पलायन दर	2.00%	2.00%

अगले वर्ष के लिए पेंशन और उपदान निधि में अपेक्षित योगदान क्रमशः ₹3,150.25 करोड़ और ₹1,783.97 करोड़ है।

एसबीआई के मामले में, योजना आस्तियों को सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त प्रतिलाभ के आधार पर विपणन करने हेतु चिन्हित किया गया है, अपेक्षित दर को बट्टा दर के समान रखा गया है।

भविष्य के वेतन वृद्धि के अनुमान, बीमांकिक मूल्यांकन में शामिल, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। इस तरह के अनुमान बहुत लंबी अवधि के हैं और सीमित अतीत के अनुभव /तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबी अवधि में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है। उक्त अनुमानों और आकलन पर लेखापरीक्षकों ने विश्वास किया है।

पेंशन फंड को और मजबूत करने की दृष्टि से, कुछ अनुमानों को ऊपर की ओर संशोधित करने का निर्णय लिया गया।

2.2.1.2 कर्मचारी भविष्य निधि

भविष्य निधि ट्रस्ट में ब्याज की कमी के संबंध में किया गया बीमांकिक मूल्यांकन "शून्य" देयता दर्शाता है, इसलिए वित्त वर्ष 2021-22 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

निम्नलिखित तालिका स्वतंत्र बीमांककों द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति को निर्धारित करती है:

₹ करोड़ में

विवरण	भविष्य निधि	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हित लाभदायित्व का वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2021 को आरंभिक नियत हित लाभदायित्व	**35,946.22**	**31,744.55**
वर्तमान सेवा लागत	1,527.66	3,320.40
ब्याज लागत	2,976.21	2,610.99
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	2,037.09	2,636.54
बीमांकिक हानियां/(लाभ)	150.44	51.85
भुगतान किया गया लाभ	(5,130.09)	(4,418.11)
31 मार्च 2022 को समाप्त नियत हित लाभदायित्व	**37,507.53**	**35,946.22**
योजना आस्ति में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2021 को योजनागत आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	**37,036.39**	**32,648.72**
योजनागत आस्ति पर संभावित लाभ	2,976.21	2,610.99
योगदान	3,564.74	5,956.94
अनर्जक निवेश की परिपक्वता पर हानि का प्रावधान	-	(60.59)
भुगतान किया गया लाभ	(5,130.09)	(4,418.11)
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(20.42)	298.44
31 मार्च 2022 तक योजनागत परिसंपत्तियों का अंतिम उचित मूल्य	**38,426.83**	**37,036.39**
दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2022 को वित्तपोषित दायित्व का वर्तमान मूल्य	37,507.53	35,946.22
31 मार्च 2022 पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	38,426.83	37,036.39
घाटा/(अधिशेष)	(919.30)	(1,090.17)
तुलन पत्र में निवल आस्ति की पहचान नहीं की गई	**919.30**	**1,090.17**
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त शुद्ध लागत		
वर्तमान सेवा लागत	1,527.66	3,320.40
ब्याज लागत	2,976.21	2,610.99
योजनागत आस्ति पर संभावित लाभ	(2,976.21)	(2,610.99)
प्रतिवर्ती ब्याज की कमी	-	(11.58)
अनुसूची 16 में शामिल नियत हित लाभयोजनाओं की कुल लागत "कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान"	**1,527.66**	**3,308.82**
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता / (आस्ति) आरंभ और बंद करने का समाधान		
1 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक निवल देयाताएं	-	-
उपरोक्तानुसार व्यय	1,527.66	3,308.82
नियोक्ता का अंशदान	(1,527.66)	(3,308.82)
तुलन पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	**-**	**-**

31 मार्च, 2022 तक भविष्य निधि की योजनागत आस्ति के तहत निवेश इस प्रकार हैं:

आस्ति की श्रेणी	भविष्य निधि
	योजना जट आस्ति का %
केंद्र सरकार प्रतिभूति	32.61%
राज्य सरकार प्रतिभूति	29.23%
ऋण प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियां और बैंक जमा	30.46%
ईटीएफ और म्यूचुअल फंड	5.71%
अन्य	1.99%
कुल	**100.00%**

प्रमुख बीमांकिक आकलन

विवरण	भविष्य निधि	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.27%	6.82%
गारंटीकृत प्रतिभा	8.50%	8.50%
पलायन दर	2.00%	2.00%
वेतन वृद्धि	5.80%	5.60%

i) एसबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के तहत देयता पर गारंटीकृत प्रतिभा लागू है जो नीचे दिए गए बिंदुओं से कम नहीं हो सकता है:

(a) पूर्ववर्ती वर्ष में बारह महीनों के लिए निर्धारित नई जमाराशियों के लिए एसबीआई द्वारा उद्धृत औसत मानक दर (एक चौथाई प्रतिशत से ऊपर या नीचे समायोजित) से एक आधा प्रतिशत (मार्च के पूर्ववर्ती 31वें दिन समाप्त); या

(b) प्रति वर्ष तीन प्रतिशत, कार्यकारी समिति के अनुमोदन के अधीन।

ii) किसी ट्रस्ट द्वारा प्रशासित एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के भविष्य निधि के नियमों के अनुसार यदि न्यासी बोर्ड, निवेश पर कम प्रतिफल या किसी अन्य कारण से सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के पैरा 60 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के लिए घोषित दर पर ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ है, तो उस कमी को कंपनी द्वारा पूरा किया जाएगा।

2.2.2 नियत योगदान योजनाएं

2.2.2.1 कर्मचारी भविष्य निधि

समूह द्वारा भविष्य निधि योजना हेतु ₹ 56.65 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 47.48 करोड़) की राशि का अंशदान दिया गया है (नोट 2.2.1.2 में शामिल संस्थाओं को छोड़कर) और इसे लाभ और हानि खाता में "कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान" शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

2.2.2.2 नियत अंशदान पेंशन योजना

एसबीआई की एक नियत अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) है जो 1 अगस्त 2010 को या उसके बाद एसबीआई में शामिल होने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू है। इस योजना का प्रबंधन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में एनपीएस ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एसबीआई ने ₹1,177.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 648.17 करोड़) का अंशदान दिया है ।

2.2.2.3 नियत अंशदान योजनाओं के लिए समूह (एसबीआई को छोड़कर) द्वारा निम्नलिखित राशि प्रदान की जाती है:

₹ करोड़ में

क्रमांक	दीर्घकालिक कर्मचारियों के लाभ	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1	पीएफ अधिनियम के तहत कर्मचारी पेंशन योजना	35.53	32.54
2	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली	7.92	6.94
3	अन्य	10.40	10.05
कुल		**53.85**	**49.53**

2.2.3 दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ (अनिधिक दायित्व):

2.2.3.1 संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति (अर्जित अवकाश)

निम्नलिखित तालिका स्वतंत्र बीमांककों द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति (अर्जित अवकाश) की स्थिति निर्धारित करती है:

₹ करोड़ में

विवरण	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति (अर्जित अवकाश)	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2021 को आरंभ नियत हितलाभ दायित्व	**8,190.54**	**7,542.58**
वर्तमान सेवा लागत	458.48	312.76
ब्याज लागत	558.32	515.59
बीमांकिक हानियां/(लाभ)	2,571.66	1,225.34
भुगतान किया गया लाभ	(1,397.91)	(1,405.73)
31 मार्च 2022 को समाप्त नियत हितलाभ दायित्व	**10,381.09**	**8,190.54**
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त शुद्ध लागत		
वर्तमान सेवा लागत	458.48	312.76
ब्याज लागत	558.32	515.59
बीमांकिक (लाभ)/हानि	2,571.66	1,225.34
अनुसूची 16 में शामिल नियत हितलाभ योजनाओं की कुल लागत "कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान"	**3,588.46**	**2,053.69**
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता/(आस्ति) के आरंभिक अधिशेस व इतिशेस का समाधान		
1 अप्रैल 2021 को आरंभ निवल देयता	**8,190.54**	**7,542.58**
उपरोक्तानुसार व्यय	3,588.46	2,053.69
नियोक्ता का अंशदान	-	-
नियोक्ता द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	(1,397.91)	(1,405.73)
तुलन पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	**10,381.09**	**8,190.54**

प्रमुख बीमांकिक धारणाएँ:

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टाकृत दर	7.27%	6.82%
वेतन वृद्धि	5.80%	5.60%
पलायन दर	2.00%	2.00%

संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति (अर्जित अवकाश) (उपरोक्त तालिका में शामिल संस्थाओं को छोड़कर)

समूह द्वारा सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण सहित अर्जित अवकाश (नकदीकरण) के लिए ₹ 32.19 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹ 52.64 करोड़) प्रदान की गई है (उपरोक्त तालिका में शामिल संस्थाओं को छोड़कर) और इसे लाभ एवं हानि खाते में "कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान" शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

2.2.3.2 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए समूह द्वारा ₹ 114.39 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 39.58 करोड़) की राशि प्रदान की जाती है और इसे लाभ और हानि खाते में "कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान" शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

2.2.4 ऊपर सूचीबद्ध कर्मचारी लाभ भारत में स्थित समूह के कर्मचारियों के संबंध में हैं। विदेशी परिचालन के कर्मचारी उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं हैं।

2.3 लेखा मानक- 17 "खंड रिपोर्टिंग":

2.3.1 खंड अभिनिर्धारण

ए) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

समूह के प्राथमिक खंड निम्नलिखित हैं :

- खजाना (ट्रेज़री)
- कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- बीमा व्यवसाय
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

समूह की वर्तमान लेखा और सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों के संबंध में अलग से डेटा कैप्चर करने और प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं है। हालाँकि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक और प्रबंधकीय रिपोर्टिंग संरचना और उनके जोखिम और रिटर्न की प्रकृति के आधार पर, प्राथमिक खंडों के आंकड़ों की गणना निम्नानुसार की गई है:

क) ट्रेजरी: ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय व डेरिवेटिव्स संविदाओं में व्यापार शामिल है। ट्रेजरी खंड की आय में मुख्य रूप से फीस तथा ट्रेडिंग परिचालनों से होने वाले लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो की ब्याज आय शामिल होती है।

ख) कारपोरेट / थोक बैंकिंग: कारपोरेट / थोक बैंकिंग खंड में कॉरपोरेट खाता समूह, वाणिज्यिक ग्राहक समूह और दबावग्रस्त आस्ति समाधान समूह के ऋण कार्यक्रम शामिल हैं। इनमें कॉरपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएं प्रदान करना शामिल है और इसके अलावा विदेश स्थित कार्यालयों के गैर-ट्रेजरी परिचालन शामिल हैं।

ग) खुदरा बैंकिंग: खुदरा बैंकिंग खंड में खुदरा शाखाएँ आती हैं, जिसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं, जिसमें इन शाखाओं के साथ बैंकिंग संबंध रखने वाले कारपोरेट ग्राहकों को उधार गतिविधियाँ शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी शामिल हैं।

घ) बीमा व्यवसाय - बीमा व्यवसाय खंड में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के परिणाम शामिल हैं।

ङ) अन्य बैंकिंग व्यवसाय- उपरोक्त (क) से (घ) के तहत वर्गीकृत नहीं किए गए खंड को इस प्राथमिक खंड के तहत वर्गीकृत किया गया है। इस खंड में समूह के एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अलावा सभी गैर-बैंकिंग अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के परिचालन शामिल हैं।

बी) द्वितीयक (भौगोलिक खंड):

क) घरेलू परिचालन - भारत में परिचालित शाखाएं/कार्यालय, अनुषंगियां और संयुक्त उद्यम।

ख) विदेशी परिचालन - भारत के बाहर परिचालित शाखाएं/कार्यालय, तथा भारत में परिचालन करने वाली अपतटीय (ऑफशोर) बैंकिंग इकाइयां ।

अंतर-खंड अंतरण का मूल्य निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खंड प्राथमिक संसाधन जुटाने वाली इकाई है। कारपोरेट/थोक बैंकिंग और ट्रेजरी खंड, खुदरा बैंकिंग से निधि प्राप्त करते हैं। बाजार से संबंधित फंड ट्रांसफर प्राइसिंग (एमआरएफटीपी) का अनुसरण किया जाता है जिसके तहत फंडिंग सेंटर नामक एक अलग इकाई बनाई गई है। फ़ंडिंग सेंटर द्वारा जमा और उधारी के रूप में उगाही गई निधियों को काल्पनिक रूप से खरीदा जाता है और संपत्ति सृजन में लगी व्यावसायिक इकाइयों को कल्पित रूप से बेचता है।

डी) आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं का आवंटन

कारपोरेट / थोक और खुदरा बैंकिंग परिचालन खंड से संबंधित कॉरपोरेट केंद्र संस्थापनाओं पर किए गए खर्च को उसी अनुसार आवंटित किया जाता है। जो व्यय सीधे संबंधित नहीं हैं वह प्रत्येक खंड में कर्मचारियों की संख्या /प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार व्यय के अनुपात के आधार पर आवंटित किए जाते हैं ।

समूह के पास कुछ सामान्य आस्ति और देयताएं हैं, जिन्हें किसी भी खंड में शामिल नहीं किया जा सकता है, और उन्हें गैर-आवंटित श्रेणी में रखा गया है।

2.3.2 खंड सूचना

भाग क: प्राथमिक (व्यवसाय) खंड:

₹ करोड़ में

व्यवसाय खंड	ट्रेज़री	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	बीमा व्यवसाय	अन्य बैंकिंग परिचालन	कुल
आय (विशेष मदों से पहले)	99,649.80	75,675.43	1,38,896.25	76,586.87	16,726.04	4,07,534.39
	(91,032.50)	(83,073.07)	(132,094.86)	(64,569.16)	(14,647.06)	(3,85,416.65)
गैर-आवंटित आय						3,155.89
						(1,651.31)
घटाएं: अंतर - खंड आय						3,717.19
						(3,097.34)
कुल आय						4,06,973.09
						(3,83,970.62)
परिणाम (विशेष मदों से पहले)	13,055.52	27,037.39	12,333.19	1,904.29	5,022.31	59,352.70
	(14,393.01)	(5,273.34)	(9,511.41)	(2,337.97)	(3,952.10)	(35,467.83)
जोड़ें: विशेष मदें						(-)7,418.39
						(1,367.27)
परिणाम (विशेष मदों के बाद)						51,934.31
						(36,835.10)
गैर-आवंटित आय (+) / व्यय (-) निवल						(-) 2,195.68
						(-4,039.14)
कर पूर्व लाभ/(हानि)						49,738.63
						(32,795.96)
कर						13,382.46
						(8,516.25)
असाधारण लाभ						0.00
						(0.00)
सहयोगियों के लाभ में हिस्सेदारी से पहले निवल लाभ/(हानि) और अल्पांश हित						36,356.17
						(24,279.71)
जोड़ें: सहयोगियों के लाभ में हिस्सा						827.01
						(-391.90)
घटाएं : अल्पसंख्यक हित						1,809.30
						(1,482.36)
समूह के लिए निवल लाभ/(हानि)						35,373.88
						(22,405.45)
अन्य सूचना:						
खंड आस्तियां	16,11,406.25	13,26,995.56	20,27,135.23	2,85,210.54	58,894.25	53,09,641.83
	(14,52,023.37)	(12,21,624.66)	(18,19,067.05)	(2,37,323.29)	(46,307.46)	(47,76,345.83)
गैर-आवंटित आस्तियां						51,241.70
						(69,272.72)
कुल आस्तियां						53,60,883.53
						(48,45,618.55)
खंड देयताएं	14,56,533.68	12,93,294.16	18,65,708.05	2,70,570.71	41,562.93	49,27,669.53
	(13,15,938.88)	(11,85,545.78)	(16,99,537.03)	(2,24,101.85)	(32,314.42)	(44,57,437.96)

व्यवसाय खंड	ट्रेज़री	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	बीमा व्यवसाय	अन्य बैंकिंग परिचालन	कुल
गैर-आवंटित देयताएं						1,27,625.95
						(1,12,619.03)
कुल देयताएं						50,55,295.48
						(45,70,056.99)

(i) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं

(ii) आय/व्यय पूरे वर्ष के लिए हैं। आस्ति/देयताएं 31 मार्च, 2022 तक हैं।

भाग ख: द्वितीयक (भौगोलिक) खंड

₹ in crore

	घरेलू		विदेश		कुल	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय (विशेष मदों से पहले) #	3,95,564.85	3,72,005.60	11,408.24	11,965.02	4,06,973.09	3,83,970.62
निवल लाभ #	31,153.99	18,935.93	4,219.89	3,469.52	35,373.88	22,405.45
आस्तियां *	47,74,622.21	43,16,869.48	5,86,261.32	5,28,749.07	53,60,883.53	48,45,618.55
देयताएं*	44,77,321.28	40,48,986.49	5,77,974.20	5,21,070.50	50,55,295.48	45,70,056.99

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए।

* 31 मार्च, 2022 तक।

2.4 लेखा मानक-18 " संबंधित पक्षों का प्रकटन":

2.4.1 समूह से संबंधित पक्ष:

क) संयुक्त उद्यम:

1. सी - एज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
2. एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड
3. एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लिमिटेड
4. मैक्वेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई. लिमिटेड
5. मैक्वेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लिमिटेड
6. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड - मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड
7. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड
8. जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड

ख) सहयोगी:

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक

4. एलाक्वाई देहाती बैंक
5. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
6. मेघालय ग्रामीण बैंक
7. मिजोरम ग्रामीण बैंक
8. नागालैंड ग्रामीण बैंक
9. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
10. उत्कल ग्रामीण बैंक
11. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
12. झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक
13. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
14. तेलंगाना ग्रामीण बैंक

ii) अन्य

1. भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड
2. बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड
3. येस बैंक लिमिटेड
4. इन्वेस्टेक कैपिटल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (29.06.2021 से)
5. एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड (परिसमापन के तहत)

ग) एसबीआई के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

1. श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष
2. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी, प्रबंध निदेशक
3. श्री अश्वनी भाटिया, प्रबंध निदेशक
4. श्री स्वामीनाथन जानकीरमन, प्रबंध निदेशक
5. श्री अश्विनी कुमार तिवारी, प्रबंध निदेशक

2.4.2 वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों के साथ लेनदेन किए गए:

लेखा मानक (एएस) 18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार "राज्य नियंत्रित उद्यम" के संबंधित पक्ष के संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, एएस 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, प्रमुख प्रबंधन कर्मियों तथा प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदारों सहित बैंकर-ग्राहक संबंधों की प्रकृति वाले लेनदेनों का खुलासा नहीं किया गया है।

2.4.3 लेन-देन और शेष राशियां:

₹ करोड़ में

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कर्मी और उनके रिश्तेदार	कुल	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कर्मी और उनके रिश्तेदार	कुल
बकाया	**31 मार्च 2022**			**31 मार्च 2021**		
उधारी	-	-	-	-	-	-
जमा	834.90	-	834.90	1,352.84	-	1,352.84
अन्य देयताएं	11.66	-	11.66	8.27	-	8.27
बैंकों के पास बकाया तथा मांग एवं अल्प सूचना पर शेष राशि	0.39	-	0.39	-	-	-
अग्रिम	856.50	-	856.50	1,434.76	-	1,434.76

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कर्मी और उनके रिश्तेदार	कुल	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कर्मी और उनके रिश्तेदार	कुल
निवेश	10,667.36	-	10,667.36	12,814.54	-	12,814.54
अन्य आस्तियां	307.17	-	307.17	188.39	-	188.39
गैर-निधि प्रतिबद्धताएं (एलसी/बीजी)	-	-	-	2,935.10	-	2,935.10
अधिकतम बकाया	**वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान**			**वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान**		
उधारी	-	-	-	-	-	-
जमा	1,352.93	-	1,352.93	1,543.06	-	1,543.06
अन्य देयताएं	14.60	-	14.60	8.27	-	8.27
बैंकों के पास बकाया तथा मांग एवं अल्प सूचना पर शेष राशि	636.41	-	636.41	-	-	-
अग्रिम	2,218.52	-	2,218.52	17,763.35	-	17,763.35
निवेश	12,817.93	-	12,817.93	14,551.41	-	14,551.41
अन्य आस्तियां	487.67	-	487.67	188.39	-	188.39
गैर-निधि प्रतिबद्धताएं (एलसी/बीजी)	2,935.10	-	2,935.10	2,935.10	-	2,935.10
वर्ष के दौरान	**वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान**			**वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान**		
ब्याज आय	213.01	-	213.01	167.94	-	167.94
ब्याज व्यय	31.48	-	31.48	18.58	-	18.58
लाभांश के माध्यम से अर्जित आय	21.90	-	21.90	23.29	-	23.29
अन्य आय	6.18	-	6.18	78.51	-	78.51
अन्य व्यय	24.16	-	24.16	2.44	-	2.44
भूमि/भवन और अन्य संपत्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि)	(0.83)	-	(0.83)	4.04	-	4.04
प्रबंधन अनुबंध	-	1.63	1.63	37.94	1.50	39.44

वर्ष के दौरान कोई भौतिक महत्वपूर्ण पक्षकार लेनदेन नहीं है।

2.5 लेखा मानक-19 "पट्टे":

2.5.1 वित्तीय पट्टे

01 अप्रैल 2001 को या उसके बाद वित्तीय पट्टे पर ली गई आस्तियां:

वित्तीय पट्टों का विवरण नीचे दिया गया है:

₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार
कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान बकाया		
एक वर्ष से कम	66.04	51.02
1 से 5 वर्ष	140.00	105.91
5 वर्ष और उससे अधिक	56.83	31.14
कुल	**262.87**	**188.07**
देय ब्याज लागत		

विवरण	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार
एक वर्ष से कम	11.61	8.30
1 से 5 वर्ष	20.83	15.96
5 वर्ष और उससे अधिक	11.75	11.52
कुल	**44.19**	**35.78**
देय न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य		
एक वर्ष से कम	54.43	42.72
1 से 5 वर्ष	119.17	89.95
5 वर्ष और उससे अधिक	45.08	19.62
कुल	**218.68**	**152.29**

2.5.2 परिचालन पट्टा

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की जानकारी नीचे दी गई है:

परिचालन पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर और कर्मचारी आवास शामिल हैं, जो समूह इकाईयों के विकल्प पर नवीकरण योग्य हैं।

गैर-रद्द करने योग्य परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसर की देयता नीचे दी गई है:

₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष से बाद में नहीं	172.58	121.98
1 वर्ष बाद में और 5 वर्ष से बाद में नहीं	279.17	203.77
5 वर्ष से बाद में	183.89	33.55
कुल	**635.64**	**359.30**

इस वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाते में ली गई पट्टा भुगतान राशि ₹ 4,134.88 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4,847.29 करोड़) है।

2.6 लेखा मानक -20 "प्रति शेयर आय":

बैंक लेखांकन मानक 20 - "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर "मूल आय" की गणना, वर्ष के दौरान, कर-पश्चात निवल (अल्पांश के अलावा) आय की समेकित निवल लाभ/(हानि) को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल तथा कम किए गए		
वर्ष की शुरुआत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,46,11,534
वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या	निरंक	निरंक
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,46,11,534
प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	892,46,11,534	892,46,11,534
प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय की गणना में उपयोग किए गए शेयरों की भारित औसत संख्या	892,46,11,534	892,46,11,534
समूह के लिए निवल लाभ/(हानि) (₹ करोड़ में)	35,373.88	22,405.45
प्रति शेयर मूल कमाई (₹)	39.64	25.11
प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय (₹)	39.64	25.11
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (₹)	1.00	1.00

2.7 लेखा मानक - 22 "आय पर कर का लेखांकन":

i) बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते से ₹ 520.09 करोड़ आस्तगित कर के रूप में जमा किए हैं (पिछले वर्ष ₹ 3,748.99 करोड़ नामे किया गया)।

ii) आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों की प्रमुख मदों का विवरण नीचे दिया गया है:

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियां		
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	6,619.13	7,975.13
अग्रिम के लिए प्रावधान	5,093.33	4,125.04
अन्य आस्तियों/अन्य देयताओं के लिए प्रावधान	3,650.06	3,115.56
संचित हानियों पर	37.38	36.80
विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि पर	982.69	759.10
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	305.20	230.35
एसबीआई के एफओ से संबंधित डीटीए	409.56	275.67
अन्य	189.94	171.79
कुल	**17,287.29**	**16,689.44**
आस्थगित कर देयताएं		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	41.80	38.30
प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	6,546.58	5,744.73
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधि	3,950.60	3,656.53
एसबीआई के एफओ से संबंधित डीटीएल	2.56	2.46
अन्य	6.21	6.33
कुल	**10,547.75**	**9,448.35**
निवल आस्थगित कर आस्तियां /(देयताएं	**6,739.54**	**7,241.09**

iii) एसबीआई ने वित्तीय वर्ष 2019-20 से कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा पेश किए गए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAA के तहत अनुमत न्यूनतम कर दर के विकल्प का प्रयोग किया है।

2.8 लेखा मानक - 28 "आस्तियों की क्षति":

प्रबंधन की राय में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की क्षति का कोई ऐसा मामला नहीं आया है जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की क्षति" लागू होती हो।

2.9 लेखा मानक - 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां"

➢ **लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए प्रावधान और आकस्मिकताओं का विवरण:**

प्रावधानों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है

करोड़ में

क्रम सं.	लाभ और हानि खाते में व्यय शीर्ष के तहत दर्शाए गए "प्रावधानों और आकस्मिकताओं" का विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क	कराधान के लिए प्रावधान		
	- वर्तमान कर	12,859.32	12,278.08
	- आस्थगित कर	520.09	(3,748.99)
	- (प्रतिलेखन)/आयकर का अतिरिक्त प्रावधान	3.05	(12.84)
ख	अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	15,902.01	29,758.90
ग	पुनर्रचित आस्तियों पर प्रावधान	(56.11)	(26.25)
घ	मानक आस्तियों पर प्रावधान	4,581.82	3,601.32
ड.	निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	3,471.78	2,820.99
च	अन्य प्रावधान	2,777.19	9,947.20
	कुल	**40,059.15**	**54,618.41**

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े क्रेडिट दर्शाते हैं)

➢ **अस्थायी प्रावधान:**

₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क	आरंभिक अधिशेष	193.75	193.75
ख	वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
ग	वर्ष के दौरान आहरण	-	-
घ	**इति शेष**	**193.75**	**193.75**

➢ **आकस्मिक देनदारियों का विवरण (एएस-29):**

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	समूह के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हैं	व्यवसाय की सामा प्रक्रिया में समूह घटक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष होता हैं। यह अपेक्षा नहीं करता है कि इन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप समूह की वित्तीय स्थितियां, परिचालन परिणाम या नकदी प्रवाह पर बहुत अधिक प्रतिकूल पड़ेगा। कुछ मामलों में कर निर्धारण अपील विचाराधीन हैं तथा समूह उन विभिन्न मामलों में भी एक पक्ष है।
2	आंशिक प्रदत्त निवेशों/उद्यम निधि पर देयताएं	यह मद आंशिक रूप से चुकता निवेशों के लिए चुकता न की गई शेष राशि की देयता को दर्शाती है। इसमें जोखिम पूंजी निधियों हेतु अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं।
3	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	समूह अपने सामान्य व्यावसायिक कार्यकलाप के भाग के रूप में, भविष्य की किसी तारीख को पूर्व-निर्धारित दर पर मुद्रा परिवर्तन के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएं करता है। वायदा मुद्रा विनिमय संविदाएं, संविदागत दर पर निर्धारित तारीख को विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्धता होती है। कल्पित राशि को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन के संबंध में संतुलन साधने के लिए सामान्यत: बैंक अंतर-बैंक बाज़ार में प्रतिसंतुलन लेनदेन करता है। इसका परिणाम बडी संख्या में बकाया लेनदेन होता है, और इसलिए संविभाग की सकल कल्पित मूल राशि की मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है, जबकि निवल बाज़ार जोखिम बहुत कम होता है।
4	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां, स्वीकृतियां, परांकन तथा अन्य दायित्व	अपनी सामान्य वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलापों के एक भाग के रूप में समूह, अपने ग्राहकों की ओर से दस्तावेजी क्रेडिट और गारंटी जारी करता है। दस्तावेजी ऋण से समूह के ग्राहकों की साख बढ़ती है। गारंटियां आम तौर पर अपरिवर्तनीय आश्वासन होती हैं कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है तो बैंक उनका भुगतान करेगा।
5	अन्य मदें जिनके लिए समूह आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	समूह अपने स्वयं के खाते में और ग्राहकों के लिए अंतर-बैंक प्रतिभागियों के साथ मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा स्वैप और ब्याज दर स्वैप में प्रवेश करता है। मुद्रा अदला-बदली, पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा में ब्याज/मूलधन के रूप में नकदी प्रवाह को दूसरी मुद्रा में विनिमय करने की प्रतिबद्धता है। ब्याज दर स्वैप, ब्याज की स्थिर और अस्थिर दर नकदी प्रवाहों का विनिमय करने की प्रतिबद्धता है। आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज की गई काल्पनिक राशियां, आमतौर पर अनुबंधों के ब्याज घटक की गणना के लिए बेंचमार्क के रूप में उपयोग की जाने वाली राशि होती हैं। इसमें संविदाओं की ऐसी अनुमानित राशि भी शामिल है जो पूंजी खाते में डाली जानी है और जिसका प्रावधान नहीं किया गया है, बैंक द्वारा सहयोगियों एवं अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्र, जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि खाते के तहत एसबीआई की देयताएं और अन्य विविध आकस्मिक देयताएं भी शामिल हैं।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएं यथास्थिति, अदालत/मध्येस्थता/अदालत के बाहर समझौते, अपीलों के निपटान, राशि की मांग, संविदात्मक बाध्यताओं की शर्तों, संबंधित पक्षों द्वारा मांग एवं हस्तांतरण करने का दायित्व, जैसा भी मामला हो, पर आधारित है।

➢ आकस्मिक देनदारियों के खिलाफ प्रावधानों में उतार-चढ़ाव:

आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों में उतार-चढ़ाव नीचे दिया गया है:

₹ करोड़ में

क्रम	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क	आरंभिक अधिशेष	3,435.01	633.72
ख	वर्ष के दौरान परिवर्धन	438.44	2,981.19
ग	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	7.43	68.47
घ	वर्ष के दौरान अप्रयुक्त राशि की वापसी	196.85	111.43
ड.	**इतिशेष**	**3,669.17**	**3,435.01**

3. समूह संस्थाओं के बीच अंतर-बैंक/कंपनी की शेष राशि का समाधान निरंतर आधार पर किया जा रहा है। चालू वर्ष के लाभ-हानि खाते पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

4. आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी.संख्या 32/21.04.018/2018-19 दिनांक 01 अप्रैल 2019 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई की पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में एसबीआई द्वारा एनपीए के लिए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन पर प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

5. **प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर (सीसीपीबी)**

'अस्थायी प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर के उपयोग' पर आरबीआई ने परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर. आरईसी.10/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 के माध्यम से बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के लिए विशिष्ट प्रावधान करने हेतु 31 दिसंबर, 2020 को बैंकों द्वारा रखे गए सीसीपीबी के 100 प्रतिशत को उपयोग में लाने की की अनुमति दी गई है।

वर्ष के दौरान, एसबीआई ने एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान करने के लिए सीसीपीबी का उपयोग नहीं किया है।

6. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, अनुसूची 16 "परिचालन व्यय" के तहत 'कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान' में 11वीं द्विपक्षीय वेतन समझौते एवं संयुक्त नोट दिनांक 11 नवंबर, 2020 के तहत शामिल किए गए एसबीआई के कर्मचारियों को देय पारिवारिक पेंशन में संशोधन के अनुसार ₹ 7,418.39 करोड़ की संपूर्ण अतिरिक्त देयता शामिल है।

पारिवारिक पेंशन योजना के कारण तुलन-पत्र में कोई परिशोधित व्यय नहीं है।

7. दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता आई। इस स्थिति में, एसबीआई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है और निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है और बैंक की आस्तियों पर संभावित दबाव की चुनौतियों के खिलाफ सक्रिय रूप से प्रावधान उपलब्ध करा रहा है। बैंक का प्रबंधन बैंक की तरलता या लाभप्रदता पर किसी महत्वपूर्ण प्रभाव की उम्मीद नहीं कर रहा है। उपरोक्त आकलन के आधार पर, 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान, मौजूदा कोविड प्रावधान हेतु रखे गए ₹ 6,183 करोड़ का उपयोग पुनर्गठित परिसंपत्तियों के विरुद्ध अतिरिक्त प्रावधानों के लिए किया गया है।

8. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, एसबीआई ने अनुसूची 16 "परिचालन व्यय" के तहत 'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' के रूप में 1 नवंबर, 2017 से प्रभावी 11वें द्वि-पक्षीय वेतन निपटान हेतु किए गए ₹ 5,353.50 करोड़ के प्रावधान को हिसाब में ले लिया है।

9. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, उधारकर्ताओं पर कोविड-19 व्यवधानों के कारण होने वाले वित्तीय तनाव को कम करने और चुकौती दबावों को कम करने के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मार्च, 2021 के आदेश के माध्यम से निर्देश दिया कि मार्च 1,2020 से अगस्त 31,2020 तक की मोरेटोरियम अवधि के लिए ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज/दंडात्मक ब्याज पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा और इस तरह के ब्याज को संबंधित उधारकर्ताओं को ऋण राशि की अगली किस्त में क्रेडिट/समायोजित करने के लिए वापस किया जाएगा। तदनुसार, एसबीआई ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान ब्याज आय में ₹ 830 करोड़ की वापसी की थी।

10. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में, लागू जीवन बीमा पॉलिसियों के संबंध में देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन, चालू जीवन बीमा पॉलिसियां, वह जीवन बीमा पॉलिसियां जिनका प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन देयता 31 मार्च, 2022 तक मौजूद है, दावे किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर) और किए गए दावे लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं (आईबीएनईआर) हैं, उनके मामले में प्राधिकरण की सहमति से भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण ("आईआरडीएआई" / "प्राधिकरण") और भारत के बीमांकक संस्थान द्वारा जारी दिशानिर्देशों और मानदंडों के आधार पर नियुक्त बीमांकक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

11. जीवन बीमा और सामान्य बीमा अनुषंगियों के निवेशों को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपनाई गई लेखा नीति के अनुसार दोहराने की बजाय आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार हिसाब में लिया गया है। बीमा सहायक कंपनियों का निवेश 31 मार्च, 2022 तक कुल निवेश का लगभग 15.33% (पिछले वर्ष 14.13%) है।

12. एसबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 7.10 प्रति शेयर @ 710% का लाभांश घोषित किया है (पिछले वर्ष ₹ 4 प्रति शेयर @ 400%)।

13. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी सं.बीपी.बीसी.42/21.01.02/2007-08 के अनुसार, मोचनीय अधिमानी शेयरों (यदि कोई हो) को देयताओं और उन पर देय कूपन को ब्याज के रूप में माना जाता है।

14. वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण पर विचार किया गया है। तदनुसार, मूल कंपनी और उसकी अनुषंगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अतिरिक्त सांविधिक सूचना जो समेकित वित्तीय विवरणों की दृष्टि से सही एवं उचित नहीं है और इसी प्रकार ऐसी मदों से संबंधित सूचना जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, आसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक परिभाषा की दृष्टि से समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं की गई है।

15. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए, जहां आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है। जिन मामलों में आरबीआई के दिशा-निर्देशों/लेखा मानकों के संदर्भ में पहली बार प्रकट किया गया है, वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री अश्विनी कुमार तिवारी	**श्री स्वामीनाथन जे.**	**श्री अश्वनी भाटिया**	**श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी**
प्रबंध निदेशक	प्रबंध निदेशक	प्रबंध निदेशक	प्रबंध निदेशक
(आईबी, टी एवं एस)	(आर, सी एवं एसएआरजी)	(सीबी एवं जीएम)	(आर एवं डीबी)

इसी तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पं.सं. 105049W

श्री दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

श्री शैलेश शाह
भागीदार
सदस्य संख्या 033632

स्थान: मुंबई
दिनांक : 13 मई, 2022

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष ₹	31.03.2021 को समाप्त वर्ष ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ /(हानि) (अनुषंगियों के लाभ के हिस्से एवं अल्प मदों पर ब्याज सहित)		48756,34,30	30921,70,78
समायोजन :			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		3691,27,00	3711,06,36
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल)		16,40,47	28,33,64
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ)/हानि (निवल)		445,73,69	5,15,48
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर (लाभ)		(9,74,32)	(1577,84,31)
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर हानि		-	254,41,31
अनर्जक आस्तियों और उचित मूल्य में आई कमी के लिए प्रावधान		15845,89,97	29732,65,29
मानक आस्तियों पर प्रावधान		4581,81,42	3601,32,26
अनर्जक निवेश पर प्रावधान		3471,78,80	2820,98,83
आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान सहित अन्य प्रावधान		2777,18,33	9947,19,49
सहयोगियों के लाभ में हिस्सेदारी		(827,01,33)	391,90,45
सहयोगियों से प्राप्त लाभांश		(3,19,50)	(3,19,50)
पूंजीगत लिखतों पर प्रदत्त ब्याज		5587,88,74	5900,31,21
		84334,37,57	**85734,01,29**
समायोजन :`			
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)		372079,35,89	441170,61,63
पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार राशियों में वृद्धि/(कमी)		11807,87,55	90438,85,18
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में किए गए निवेशों को छोड़कर अन्य निवेशों में (वृद्धि)/कमी		(183899,64,02)	(368800,15,43)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी		(309322,91,48)	(156020,45,83)
अन्य देयताओ में वृद्धि/(कमी)		86464,26,64	67465,50,14
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		5255,82,79	(66249,94,63)
		66719,14,94	**93738,42,35**
कर वापसी/(प्रदत्त कर)		(9024,30,30)	(3819,49,34)
परिचालन कार्यकलाप से उत्पन्न/(में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(क)**	**57694,84,64**	**89918,93,01**
निवेश कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में शेयरों की खरीद		(582,76,40)	(3176,94,16)
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में शेयरों की बिक्री		2,22,96	1942,10,97
अनुषंगियो/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर लाभ		9,74,32	1577,84,31
अनुषंगियो/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर (हानि)		-	(254,41,31)
सहयोगियों से प्राप्त लाभांश		3,19,50	3,19,50
अचल आस्तियों में (वृद्धि)		(3305,26,01)	(3909,82,50)
अचल आस्तियों में कमी		254,34,31	81,80,47
निवेश कार्यकलाप से उत्पन्न/(में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ख)**	**(3618,51,32)**	**(3736,22,72)**
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष ₹	31.03.2021 को समाप्त वर्ष ₹
शेयर प्रीमियम सहित इक्विटी शेयर के निर्गम से प्राप्त राशि (निवल शेयर जारी करने से संबंधित व्यय)		-	-
पूंजीगत लिखतों का निर्गम		14074,00,00	27431,00,00
पूंजीगत लिखतों का मोचन		(10518,30,00)	(16897,66,40)
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज़		(5411,00,89)	(5069,10,88)
प्रदत्त लाभांश		(3569,84,46)	-
अनुषंगियो/संयुक्त उद्यमों द्वारा प्रदत्त लाभांश		(,86,64)	(3,65,16)
अल्प मदों पर ब्याज में वृद्धि /(कमी)		1581,50,62	1682,09,46
वित्तपोषण कार्यकलाप से प्राप्त/(में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ग)**	**(3844,51,37)**	**7142,67,02**
अंतरण आरक्षित निधियों पर विनिमय परिवर्तनों का प्रभाव	**(घ)**	**966,26,65**	**66,39,90**
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग+घ)		**51198,08,60**	**93391,77,21**
1 अप्रैल को नकदी एवं नकदी समतुल्य		**347707,03,57**	**254315,26,36**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**398905,12,17**	**347707,03,57**
नोट:			
1 नकदी और नकदी समतुल्यों के घटकों की स्थिति :		**31.03.2022**	**31.03.2021**
नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियां		258086,43,01	213498,61,59
बैंकों के पास जमाराशियां तथा मांग एवं अल्पसूचना पर प्राप्य राशि		140818,69,16	134208,41,98
योग		**398905,12,17**	**347707,03,57**

1 परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति से रिपोर्ट किया गया है।

श्री अश्विनी कुमार तिवारी
प्रबंध निदेशक
(आईबी, टी एवं एस)

श्री स्वामीनाथन जे.
प्रबंध निदेशक
(आर, सी एवं एसएआरजी)

श्री अश्वनी भाटिया
प्रबंध निदेशक
(सीबी एवं जीएम)

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
प्रबंध निदेशक
(आर एवं डीबी)

इसी तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
फर्म पं. सं. 105049W

श्री दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

श्री शैलेश शाह
पार्टनर
सदस्य संख्या 033632

स्थान: मुंबई
दिनांक : 13 मई, 2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
निदेशक मंडल,
भारतीय स्टेट बैंक,
स्टेट बैंक भवन,
मैडम कामा रोड,
मुंबई।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक ("बैंक") के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों के नोट शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारियों का सारांश शामिल है:

   क. बैंक के लेखा परीक्षित एकल वित्तीय विवरण जो हमारे सहित सभी चौदह सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है;

   ख. अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 26 अनुषंगियों, 8 संयुक्त उद्यम और 17 सहयोगियों (14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण; और (अनुलग्नक ए में सूचीबद्ध)

   ग. 1 अनुषंगी और 1 सहयोगी (अनुलग्नक क में सूचीबद्ध) के गैर-लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण।

   उपरोक्त इकाइयों को बैंक 'समूह' के रूप में संदर्भित किया गया है।

   हमारे अभिमत में तथा हमें उपलब्ध जानकारी के आधार पर एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों व सहयोगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर हमारे विचार के आधार पर, अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सहायक कंपनियों की अन्य वित्तीय जानकारी, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और जो:

   क) 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समूह की स्थिति की समेकित तुलन-पत्र के मामले में सही और उचित दृष्टिकोण;

   (ख) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि खाते के मामले में लाभ का सही संतुलन; और

   ग) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में सही और उचित दृष्टिकोण।

अभिमत आधार

2. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा आयोजित की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी किए गए आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो समेकित वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और नैतिकता के कोड के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए ऑडिट साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

3. प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में लिया गया है और हम इन मामलों पर एक अलग अभिमत प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले बैंक के प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है:

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	लेखापरीक्षा में इस मामले का समाधान कैसे किया गया है
बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले:		
i	**अग्रिमों का वर्गीकरण, आय निर्धारण और अनर्जक अग्रिमों की पहचान और उनके लिए प्रावधान** अग्रिम में बिल की खरीद और डिस्काउंट, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट ऋण मांग पर प्रस्तुत तथा मियादी ऋण। इन्हें आगे बैंक/ सरकारी गारंटी एवं प्रतिभूति रहित (बही ऋण के विरुद्ध ऋण सहित) प्रतिभूति और आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अग्रिमों में बैंक की कुल आस्तियों का हिस्सा 54.82% है। इन पर अन्य बातों के साथ साथ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी आय निर्धारण, आस्तियों वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड (आईआरएसी) तथा अन्य परिपत्र और निदेश लागू होते हैं विदेशी कार्यालयों के मामले को छोड़कर, जहाँ अग्रिमों का वर्गीकरण और उनका प्रावधान स्थानीय विनियमों या आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है, जो भी अधिक कठोर हो। इनमें अग्रिम वर्गीकरण, अर्जक और अनर्जक अग्रिमों के संबंध में दिशानिर्देश दिए गए हैं। बैंक इन अग्रिमों का वर्गीकरण अपनी लेखा नीति सं. 3 के अनुसार इन मानदंडों के आधार पर करता है। अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान की उचित व्यवस्था तत्र की स्थापना भी शामिल है। बैंक अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेनों के खाते बैंक की अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) यानी कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में होनी चाहिए जिनसे अर्जक या अनर्जक अग्रिमों की पहचान होती हो। इसके अतिरिक्त, एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान राशि की गणना अन्य आईटी सिस्टम यानी सेन्ट्रलाइज़्ड क्रेडिट डेटा प्रोसेसिंग (सीसीडीपी) ऐप्लीकेशन के माध्यम से की जानी चाहिए। इन अग्रिमों का रखाव मूल्य (प्रावधान घटाकर) अलग-अलग या इकट्ठा देने में आईआरएसी मानदंडों का उचित रूप से पालन न होने पर कोई महत्वपूर्ण त्रुटि हो सकती है। लेनदेन की प्रकृति, नियामक अपेक्षाओं, वर्तमान व्यवसाय परिवेश, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में प्राक्कलन/विवेक प्रयोग और महत्ता को देखते हुए अग्रिमों और प्रावधानीकरण की लेखपरीक्षा काफी श्रमसाध्य कार्य है। इसके साथ साथ, केवल बैंक के वित्तीय विवरण इसके प्रयोक्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। इन पहलुओं को देखते हुए, हमने इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला माना है। साथ ही, हमारी लेखा परीक्षा आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और ऋण के प्रावधानों के संतुलन पर केंद्रित है।	हमारी कार्यविधि अग्रिमों का सत्यापन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी आईआरएसी मानदंडों और संबंधित परिपत्रों एवं निदेशों तथा बैंक की आंतरिक नीतियों एवं कार्यविधियों के संदर्भ में किया है जिसमें निम्नलिखित का भी सत्पायन किया गया: क. हमें लेखापरीक्षा के लिए सौंपी गई शाखाओं के संबंध में आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आय निर्धारण, अर्जक और अनर्जक अग्रिम वर्गीकरण तथा प्रावधान करने के लिए सिस्टम में दिए गए डेटा की यथार्थता; ख. बैंक की नीतियों और कार्यविधियों के अनुसार मॉनीटरिंग व्यवस्था की उपलब्धता और प्रभावकारिता जैसे आंतरिक लेखापरीक्षा, सिस्टम ऑडिट, क्रेडिट ऑडिट और दैनिक संगामी लेखापरीक्षा; ग. भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्रों/दिशानिर्देशों/न्यायिक घोषणाओं के अनुपालन के संबंध में नमूना आधार पर तनावग्रस्त अग्रिमों सहित अग्रिमों की जांच; घ. हमने एनपीए की ट्रैकिंग, पहचान और मुद्रांकन और उसके संबंध में प्रावधान करने के लिए सीबीएस में इनबिल्ट किए गए व्यावसायिक तर्कों/मापदंडों के संबंध में बाहरी आईटी प्रणाली लेखा परीक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्टों पर भी भरोसा किया है। ङ. हमने उपरोक्त आरबीआई परिपत्र/निर्देशों के अनुसार प्रस्तुति और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीसीडीपी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयारी सॉफ्टवेयर में प्रगति की मैपिंग का परीक्षण किया । च. हमने बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के निगरानी तंत्र के अनुसार आयोजित विभिन्न लेखा परीक्षाओं की प्रकृति, समय और सीमा निर्धारित करने और विभिन्न लेखा परीक्षाओं के अनुपालन के लिए अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता की जांच की है। छ. हमें लेखापरीक्षा के लिए सौंपी गई शाखाओं की सारभूत कार्यविधियों के पालन में हमने बड़े अग्रिमों/दबाव वाले अग्रिमों की जांच की है जबकि अन्य अग्रिमों की नमूना आधार पर जांच की गई है। हमने बैंक प्रबंध मंडल द्वारा उपलब्ध कराई गई स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा के आधार पर भी जांच की है। ज. हमने एनपीए की पहचान और आय के प्रतिवर्तन और प्रावधान के निर्माण की प्रक्रिया का मूल्यांकन और आकलन किया; झ. हमने इसमें अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की भी सहायता ली है जिनके साथ हमने इस विषय में विशेष रूप से पत्राचार/ संवाद भी किया।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	लेखापरीक्षा में इस मामले का समाधान कैसे किया गया है
ii	**निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान** निवेश में बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूति, बॉण्ड, डिबेंचर, शेयर, प्रतिभूति प्राप्ति और अन्य अनुमोदित प्रतिभूति में किया गया निवेश शामिल है। निवेशों का बैंक की कुल आ में 29.70% हिस्सा है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा निर्देशित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के इन निदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान, तदनुरूपी आय की मान्यता न दिए जाने और इसके विरुद्ध प्रावधान शामिल हैं। उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है जिसमें विभिन्न स्त्रोतों जैसे कि एफआईएमएमडीए दरों, बीएसई/एनएसई पर उद्धृत दरें, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरणों आदि से आंकड़ों/सूचनाओं का संग्रह शामिल है। मूल्यांकन, लेन-देन की मात्रा, हस्तगत निवेशों की मात्रा और विनियामक फोकस की डिग्री में शामिल निर्णय की जटिलताओं और सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है। तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा निवेश के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित है।	भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखा परीक्षा दृष्टिकोण में मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों और वास्तविक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल थी। विशेष रूप से: क. हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यह्रास के बारे में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और इसे समझ लिया। ख. इन निवेशों का उचित मूल्य जानने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया गया; ग. हस्तगत निवेशों के चुनिंदा नमूने के लिए इनके ठीक होने और भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों का अनुपालन किए जाने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र में प्रत्येक श्रेणी की प्रतिभूति का मूल्यांकन फिर से करने संबंधी निदेशों के पालन की स्थिति की भी जांच की गई। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद ही किया गया है कि सभी श्रेणियों के निवेशों का (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) नमूने में समावेश हो जाए; घ. एनपीआई और आय के तदनुरूपी रिवर्सल एवं प्रावधान राशि की गणना की प्रक्रिया की जांच और मूल्यांकन किया; ङ. सारभूत लेखापरीक्षा कार्यविधियों का पालन किया गया है जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निदेशों के अनुसार प्रावधान राशि और मूल्यह्रास के लिए भी प्रावधान राशि की अलग से फिर से गणना की जा सके। तदनुसार हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेशों के चुनिंदा नमूने एकत्रित किए और भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार एनपीआई की गणना की जांच की तथा उन चुनिंदा नमूना एनपीआई के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों के अनुसार किए गए प्रावधान की राशि की भी फिर से गणना की; च. निवेश ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के बीच निवेशों की मैपिंग की जांच की जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार प्रस्तुति और प्रकटीकरण की अपेक्षाओं का कैसे अनुपालन किया गया है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	लेखापरीक्षा में इस मामले का समाधान कैसे किया गया है
iii	**प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कतिपय मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों का आकलन, अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है** प्रावधान के स्तर का आकलन करने के लिए उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके अपने फैसले, पिछले अनुभव, और कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकारों से सलाह द्वारा समर्थित है, जहां भी आवश्यक माना जाता है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को काफी प्रभावित कर सकते हैं। हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा विचाराधीन विषय वस्तु के तथ्यों और इसमें शामिल कानून के निर्णयों / व्याख्या के विश्लेषण पर केंद्रित थी।	हमारी लेखापरीक्षा कार्यविधि में शामिल हैः क. लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना ताकि हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं ख. मुकदमों/कर आकलनों की वर्तमान स्थिति को समझना ग. विभिन्न कर प्राधिकरणों/ न्यायिक मंचों से प्राप्त हाल के आदेशों और / या संचार की जांच करना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना; घ. इसमें प्रस्तुत आधारों के संदर्भ में विचाराधीन विषय वस्तु की योग्यता का मूल्यांकन करना और हमारे आंतरिक कर विशेषज्ञों की राय सहित उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी / कर सलाह ङ. चर्चाओं के माध्यम से बैंक के विवादों के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण, विचाराधीन विषय वस्तु के ब्यौरे का संग्रह, संभावित परिणाम और उन मुद्दों पर परिणामी संभावित बहिर्वाह; और च. महत्वपूर्ण मुकदमों और कराधान मामलों से संबंधित प्रकटीकरण का सत्यापन।
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले:		
iv	**सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों और नियंत्रण (आईटी नियंत्रण):** सभी बीमा कंपनियां दैनिक संसाधित लेनदेन की भारी संख्या के कारण प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर हैं। कंपनी की वित्तीय प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्वचालित प्रक्रियाओं के साथ आईटी सिस्टम पर भारी निर्भरता है जो लेनदेन दर्ज करता है, मूल्यांकन और रिकॉर्डिंग पर नियंत्रण करता है। इस प्रकार, आईटी नियंत्रण वातावरण में गैप के कारण इसमें एक जोखिम मौजूद है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग गलत हो सकते हैं। कंपनी अपनी समग्र वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कई प्रणालियों का उपयोग करती है। हमने आईटी सिस्टम के महत्वपूर्ण उपयोग और आईटी आर्किटेक्चर के पैमाने और जटिलता के कारण प्रमुख ऑडिट मामलों के रूप में "आईटी सिस्टम और नियंत्रण" की पहचान की है।	मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं: • वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग पर प्रभाव डालने वाली आईटी प्रणालियों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण का नमूना परीक्षण। • नमूना परीक्षण द्वारा वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग रिकॉर्ड के संबंध में कुछ प्रमुख नियंत्रणों की प्रभावशीलता के लिए आईटी सिस्टम प्रक्रियाओं का मूल्यांकन किया; और • हमारा ऑडिट दृष्टिकोण स्वचालित नियंत्रणों पर निर्भर करता है और इसलिए प्रक्रियाओं को आईटी सिस्टम पर नियंत्रण, कर्तव्यों के अलगाव, इंटरफ़ेस और सिस्टम एप्लिकेशन नियंत्रणों को प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग सिस्टम पर परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। • स्वतंत्र सूचना प्रणाली लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा की, जिसने कंपनी द्वारा अपनाए गए विभिन्न सिस्टम नियंत्रण उपायों की पुष्टि की है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	लेखापरीक्षा में इस मामले का समाधान कैसे किया गया है
v	**निवेशों का मूल्यनिर्धारण: -** कंपनी के निवेश पोर्टफोलियो में पॉलिसीधारकों के निवेश (पारंपरिक और यूनिट लिंक पॉलिसी धारक) और शेयरधारकों का निवेश शामिल हैं। कंपनी का कुल निवेश पोर्टफोलियो (यानी प्रबंधन के तहत आस्ति (एयूएम) कंपनी की कुल संपत्ति का 99.7 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 ("निवेश विनियमन"), आईआरडीएआई (वित्तीय विवरण विनियमन की तैयारी), 2002 ("वित्तीय विवरण विनियम"), कंपनी की निवेश नीति और प्रासंगिक भारतीय जीएएपी के अनुसार निवेश किए जाते हैं और इनका मूल्यनिर्धारण किया जाता है। इन मूल्यांकन विधियों ने अवलोकन योग्य ब्याज दर, सूचकांक स्तर, क्रेडिट स्प्रेड, इक्विटी की कीमतें, काउंटर पार्टी क्रेडिट गुणवत्ता, और इसी बाजार अस्थिरता के स्तर आदि सहित कई अवलोकन योग्य बाजार आदानों (इनपुट) का उपयोग किया। उद्धृत निवेश का पोर्टफोलियो कंपनी के एयूएम का 35.4 प्रतिशत है और निवेश का पोर्टफोलियो जो मुख्य रूप से अवलोकन योग्य इनपुट का उपयोग करके जिसका मूल्यनिर्धारित किया गया है, कंपनी के एयूएम का 62.8 प्रतिशत है। हम इन निवेशों को पर्याप्त गलत विवरण के उच्च जोखिम पर नहीं मानते हैं, या निर्णय के एक महत्वपूर्ण स्तर के अधीन होने के लिए नहीं मानते हैं क्योंकि उनमें तरल, कोटेड निवेश शामिल हैं। हालांकि, संपूर्ण रूप में एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में उनकी भौतिकता के कारण, उन्हें उन क्षेत्रों में से एक माना जाता है जिनका हमारी समग्र रणनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। सूची से इतर निवेश का पोर्टफोलियो कंपनी के एयूएम का 1.3 प्रतिशत है। सूची से इतर निवेश के मूल्यांकन में मूल्यांकन में इनपुट की निगरानी और उपयुक्त मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण करने में आगे के निर्णय के आधार पर निर्णय शामिल होता है जहां बाहरी मूल्य निर्धारण स्रोत या तो आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं या अविश्वसनीय होते हैं। इन निवेशों के मूल्यांकन को उन क्षेत्रों में से एक माना जाता था जिनके लिए महत्वपूर्ण लेखा परीक्षक ध्यान देने की आवश्यकता होती थी और वित्तीय विवरणों में निवेश के कुल मूल्य की भौतिकता के कारण वित्तीय विवरणों में महत्व के मामलों में से एक था।	प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं: • हमने आईआरडीएआई निवेश विनियमों, वित्तीय विवरण विनियमन, कंपनी की आंतरिक निवेश और मूल्यांकन नीति के संदर्भ में मूल्य निर्धारण पद्धतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया। • प्रक्रिया का मूल्यांकन किया और प्रमुख नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया, जिसमें कंपनी की समीक्षा और प्रमुख प्राधिकरण और डेटा इनपुट नियंत्रण सहित मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुमानों और मान्यताओं का अनुमोदन शामिल है। • उचित मूल्य एक सक्रिय बाजार में उद्धृत बाजार की कीमतों से सबसे अच्छा साबित होता है। जहां उद्धृत बाजार की कीमतें उपलब्ध नहीं हैं, समान उत्पादों के उद्धृत मूल्यों या अवलोकन योग्य बाजार आधारित इनपुट के साथ मूल्यांकन मॉडल का उपयोग उचित मूल्य का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। अनुमानित उचित मूल्य की गणना समय में एक विशिष्ट बिंदु पर बाजार की स्थितियों पर आधारित है और भविष्य के मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती है। • उद्धृत निवेशों के लिए, मूल्यांकन एक सक्रिय बाजार में स्वतंत्र मूल्य स्रोतों / बाजार कीमतों के अनुसार किया गया था। • सूची से इतर निवेशों के लिए, हमने इस तरह के मूल्यांकन के लिए प्रबंधन द्वारा किए गए मूल्य निर्धारण के संदर्भ में दर्ज मूल्यांकन की उपयुक्तता को निर्धारित करने के लिए मूल्यनिर्धारण मूल्यांकन और परिणामी निष्कर्षों का गंभीर रूप से मूल्यांकन किया।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	लेखापरीक्षा में इस मामले का समाधान कैसे किया गया है
vi	**आकस्मिक देयताएं और मुकदमे:-** कंपनी के पास विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों और विभिन्न मंचों पर मुकदमे के मामले लंबित हैं। इसमें ऐसे मुकदमे के मामलों के अंतिम परिणाम को निर्धारित करने के लिए लागू लेखा मानकों के अनुसार निर्णय शामिल हैं। प्रबंधन ने आवश्यकतानुसार अपने विशेषज्ञों की मदद से दायित्व के अनुरूप संबंधित निर्णय दिए हैं कि क्या एक अस्थायी देयता के लिए एक अनंतिम प्रकटीकरण देने की आवश्यकता है। इसलिए हमने अनिश्चितता और संभावित भौतिक प्रभाव के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया।	मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं:- • हमने मुकदमे के मामलों से संबंधित विभिन्न नियामक पत्राचार और संबंधित दस्तावेजों को पढ़ा और विभिन्न स्थितियों के रूप में कानूनी स्थिति की हमारी समझ के साथ उनकी पुष्टि की। • हमने विवाद की स्थिरता की समीक्षा करने के लिए अपनी टीम की राय सहित स्वतंत्र कानूनी वकील से प्रबंधन द्वारा मांगी गई कानूनी राय प्राप्त की। हमने कंपनी की आंतरिक कानूनी टीम के साथ महत्वपूर्ण मुकदमों के संबंध में स्थिति और संभावित जोखिम पर चर्चा की और प्रत्येक मुकदमे के संभावित परिणाम और संभावित जोखिम के परिमाण पर प्रबंधन के विचारों सहित विभिन्न मुकदमों की प्रगति के बारे में विवरण प्राप्त किया। • तथ्यों और परिस्थितियों का आकलन करने और संभावित जोखिमों की पहचान करने और खुद को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न मुकदमों की समीक्षा की गई थी कि यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या कुछ मामलों में जहां राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, इस तरह के दायित्व का प्रकटीकरण कंपनी द्वारा एक आकस्मिक देयता के रूप में किया जाता है।
एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रमुख लेखा परीक्षा मामले:		
vii	**अनिश्चित कर स्थितियों का मूल्यांकन:** कंपनी के पास विवाद के तहत मामलों सहित अनिश्चित कर लंबित होने की स्थिति है जिसमें इन विवादों के संभावित परिणाम को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है।	प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं: हमने कर विवादों की निगरानी के लिए कंपनी की प्रक्रियाओं और नियंत्रणों का मूल्यांकन किया। कर संबंधी मुकदमे के जोखिम मूल्यांकन के लिए प्रबंधन की अंतर्निहित मान्यताओं को चुनौती देने के फैसले और ऐसे मामलों में उनकी धारणा का आकलन करने के लिए कर प्रावधान और विवादों के संभावित परिणाम का अनुमान लगाने में के संबंध में हमने आंतरिक कर विशेषज्ञ से जोखिम निर्धारण कराया। उन्होंने इन अनिश्चित कर पदों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने में कानूनी प्राथमिकता और अन्य फैसलों पर भी विचार किया।

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अलावा अन्य सूचना

4. बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट (लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है), जिसे इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करते समय प्राप्त किया जाएगा, और बैंक के निदेशकों का प्रतिवेदन जिसमें वार्षिक रिपोर्ट में अनुलग्नक शामिल हैं, यदि कोई हो, उन पर, जो इस लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय बेसल III प्रकटीकरण के तहत अन्य जानकारी और स्तंभ 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं और न ही करेंगे।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों या ऑडिट में प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम बैंक की निदेशक की रिपोर्ट को पढ़ते हैं, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट में अनुलग्नक, यदि कोई हों, तो उस पर, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें एक भौतिक गलत प्रकटीकरण है, तो हमें अभिशासन के प्रभारित लोगों को मामले की सूचना देनी होती है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के साथ प्रभारित लोगों की जिम्मेदारियां

5 बैंक का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में जिम्मेदार है जो लेखांकन मानक 21-"समेकित वित्तीय विवरण", लेखांकन मानक 23- "समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश के लिए लेखांकन" और लेखांकन मानक 27 - के अनुसार समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन और समेकित नकदी प्रवाह का एक सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी संयुक्त उद्यम में हितों की रिपोर्टिंग और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम,

1955 और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों और अन्य लेखांकन सिद्धांतों को भारत में आम तौर पर स्वीकार किया जाता है। इस उत्तरदायित्व में बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए लागू कानूनों के अनुसार और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; चयन और उपयुक्त लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, संबंधित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो एक सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री की गलत प्रकटीकरण से मुक्त होते हैं, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, समूह निकायों के संबंधित निदेशक मंडल संबंधित समूह इकाई को एक सतत संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि लागू होता है, सतत संस्था से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करता है और लेखांकन के चल रहे मामलों के आधार का उपयोग करता है जब तक कि प्रबंधन या तो समूह संस्थाओं को समाप्त करने या संचालन को रोकने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

समूह निकायों के निदेशक मंडल भी संबंधित समूह इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

6. हमारा उद्देश्य यह है कि बैंक के समेकित वित्तीय विवरण, संपूर्ण रूप में धोखाधड़ी या त्रुटिवश किसी भी प्रकार की गलत बयानी से मुक्त हों, इसका उचित आश्वासन प्राप्त करना और हमारे अभिमत के साथ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। उचित आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन माना जाता है मगर यह गारंटी नहीं देता कि सांविधिक लेखा परीक्षा के आधार पर की गई लेखापरीक्षा में पाई गई गलत बयानी का दोष निकल पाएगा। गलत बयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न होती है और उन्हें ठोस माना जाएगा यदि अलग या समग्र रूप से इन बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर इनके यूसर्स द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव डालती है।

एसए के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा के अनुसार हम लेखापरीक्षा के सभी स्तरों पर व्यावसायिक विवेक और व्यावसायिक संशय बनाए रखते हैं। निम्नलिखित भी इसके दायरे में है:

- समेकित वित्तीय विवरणों में निहित गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और समीक्षा करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा कार्यविधि डिजाइन करना और उस पर कार्रवाई करना और लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना जो कि हमारे अभिमत का पर्याप्त तथा संगत आधार बने। धोखाधड़ी के कारण की गई गलत बयानी की पहचान न करने का जोखिम, त्रुटिवश की गई गलत बयानी से भारी हो सकता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल-चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की भरमार भी हो सकती है।

- उपयोग में लाई गई लेखा नीतियों की युक्तिसंगतता तथा प्रबंध मंडल द्वारा किए गए लेखा प्राक्कलनों और संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।

- प्रबंध मंडल द्वारा कार्यशील बैंक आधार पर लेखा रखने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष के रूप में तथा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर कि क्या ऐसी घटना या परिस्थिति के आधार पर कोई तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है, जिससे कार्यशील समूह की संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता पर संशय होता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालें कि तात्विक अनिश्चितता पाई गई है तो हमें केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान देना अपेक्षित होगा या प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं हैं तो हमारे अभिमत को संशोधित करना अपेक्षित होगा। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक के लेखापरीक्षा प्रमाण पर निर्भर हैं। हालांकि भविष्य की घटनाओं या परिस्थितियों के कारण बैंक कार्यशील संस्था नहीं भी बना रह सकता है।

- प्रकटीकरण सहित, समूह की संस्था के समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति तथा विषयवस्तु तथा बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया गया है, इसका मूल्यांकन करना।

- समूह और उसके सहयोगियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के भीतर संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के बारे में समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं और जिनकी वित्तीय जानकारी हमने ऑडिट की है। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखा परीक्षाओं के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी रहते हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा राय के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बने हुए हैं।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानी की मात्रा, अलग-अलग रूप से या समग्र रूप से जिससे कि इन वित्तीय विवरणों के आधार पर आर्थिक निर्णय लेनेवाले जानकार यूजर संभवतः प्रभावित हो सकता है। (i) हमारी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाते समय और हमारे कार्य के परिणाम का मूल्याकन करते समय तथा (ii) वित्तीय विवरणों में पाई गई गलत बयानी का मूल्यांकन करते समय हम मात्रात्मक विषयवस्तु और गुणात्मक घटकों पर विचार करते हैं।

हम, गवर्नेंस से जुड़े लोगों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा का योजनाबद्ध क्षेत्र और उसकी अवधि, लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम और लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में अवगत कराते है।

हम, गवर्नेंस से जुड़े लोगों को एक विवरणी प्रस्तुत करते हैं जिसमें हमारे द्वारा स्वतंत्रता संबंधी नैतिक अपेक्षाओं के अनुपालन करते हुए लेखापरीक्षा की गई है और उन्हें संबंधों तथा अन्य मामलों की जानकारी दें जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले हैं और जहां लागू हो, वहां उससे संबंधित सावधानियों की भी जानकारी दें।

गवर्नेंस से जुड़ें लोगों को जिन मामलों की जानकारी दी जाए उनमें से हम चालू अवधि के बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कि दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मामलों के रूप में शामिल करें इसलिए ये मामले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन महत्वपूर्ण मामलों का वर्णन करते है बशर्ते कि लागू कानून या विनियमों में इनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक नहीं लगाई गई हो या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम निर्णय लेते हैं कि हमारी रिपोर्ट में इस मामले की सूचना न दी जाए क्योंकि उसके विपरीत नतीजे जनहित के लिए घातक साबित हो सकते है।

अन्य मामले

7 इन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं:

क) हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 8,591 शाखाओं के वित्तीय विवरणों / जानकारी का ऑडिट नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2022 को 21,18,949 करोड़ रुपयें की कुल आस्तियां और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 1,17,395 करोड़ रुपए के कुल राजस्व को दर्शाती हैं, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में माना जाता है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखा परीक्षा उन शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और हमारी राय में जहां तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है;

(ख) हमने 26 अनुषंगियों, 8 संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के वित्तीय विवरणों का लेखा-जोखा नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2022 तक कुल 3,92,35732 करोड़ रूपए की आस्तियों तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल 95,147.53 करोड़ रूपए का राजस्व दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में समूह के निवल लाभ का हिस्सा भी शामिल है। समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 822.88 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ में समूह का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना जाता है, 17 सहयोगियों के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरणों का हमारे द्वारा ऑडिट नहीं किया गया है। इन वित्तीय विवरणों का ऑडिट अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है, और जहां तक यह उपरोक्त सहायक कंपनियों से संबंधित है, हमारी रिपोर्ट, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है

(ग) हमने 1 अनुषंगी और 1 सहयोगी जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2022 तक 8,305.05 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति को दर्शाया गया और कुल राजस्व 238.47 करोड़ रुपये है, के वित्तीय विवरणों का ऑडिट नहीं किया है। समेकित वित्तीय विवरण में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कुल शुद्ध लाभ में समूह का हिस्सा 13.18 करोड़ रुपये भी शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना जाता है। 1 सहयोगी के संबंध में, जिसका वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी हमारे द्वारा ऑडिट नहीं किया गया है। ये वित्तीय विवरण अप्रकाशित हैं और हमें प्रबंधन और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, जहां तक यह इन सहायक और सहयोगी के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है, और हमारी रिपोर्ट उपर्युक्त सहायक कंपनियों और सहयोगी से संबंधित है, जहां तक कि पूरी तरह से इस तरह के अप्रकाशित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय उपर्युक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है, जो किए गए कार्य और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता के संबंध में है।

8 समूह की सहायक कंपनियों एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लेखा परीक्षकों ने सूचित किया है कि लागू जीवन पॉलिसियों के लिए देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन और किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आईबीएनआर) और दावों के संबंध में देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन लेकिन पर्याप्त नहीं बताया गया (आईबीएनईआर) कंपनी के नियुक्त बीमा आकलन कर्ता ("नियुक्त बीमा आकलन कर्ता") की जिम्मेदारी है। लागू जीवन पॉलिसियों के लिए और उन पॉलिसियों के लिए इन देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन 31 मार्च, 2022 को देयता मौजूद है, को नियुक्त बीमा आकलन कर्ता द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और उनकी राय में, इस तरह के मूल्यांकन के लिए धारणाएं भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण ("आईआरडीएआई" / "प्राधिकरण") और भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा सहमति से जारी दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं। लेखा परीक्षकों ने इस संबंध में नियुक्त बीमा आकलन कर्ता के प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है ताकि लागू जीवन नीतियों के लिए देनदारियों के मूल्यांकन पर हमारी राय बनाई जा सके और उन नीतियों के लिए जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन कंपनी के वित्तीय विवरणों में देयता मौजूद है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. समेकित तुलनपत्र और समेकित लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त पैराग्राफ 5 से 8 की सीमाओं का अतिक्रमण न करते हुए एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की अपेक्षाओं के अनुरूप एवं तत्संबंधी अपेक्षित प्रकटीकरणों की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए हम निम्नानुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि:

क. हमने जहाँ भी कोई जानकारी और स्पष्टीकरण माँगा है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक था, हमें वह जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है और हमने उसे संतोषजनक पाया है:

ख. हमारी जानकारी में आए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं; तथा

ग. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं।

10 इसके साथ ही हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमारी राय में, बैंक द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित खातों को तब तक रखा गया है जहां तक यह उन खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियों उन शाखाओं से प्राप्त हुए हैं जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया हैं;

ख) समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण का संज्ञान इस रिपोर्ट में लिया गया है, जो खाते के साथ और उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के साथ मेल खाते है जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है;

ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के उपबंधों के अनुसार बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से संज्ञान में लिया गया है; और

घ) हमारी राय में, समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकद प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस हद तक कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

11. जैसा कि पत्र संख्या डीओएस. एआरजी. संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 द्वारा अपेक्षित है कि "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए दायित्वों की रिपोर्टिंग" पर, आरबीआई द्वारा जारी 19 मई, 2020 के बाद के पत्र के साथ पढ़ा गया, हम उपरोक्त पत्र के पैरा ग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों पर नीचे के रूप में आगे की रिपोर्ट करते हैं:

क) वित्तीय लेन-देन या ऐसे मामलों पर कोई विचार या टिप्पणियां नहीं हैं जिनका बैंक के कार्यकलाप पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ख) 31 मार्च, 2022 को बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिए गए बैंक के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों और भारत में निगमित इसकी सहायक, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, भारत में निगमित समूह कंपनियों के निदेशकों में से कोई भी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए 31 मार्च 2022तक अयोग्य नहीं है।

ग) खातों के रख-रखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित अर्हताएं, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं हैं।

घ) आईसीएआई द्वारा जारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शिका के पैरा 1.14 के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में आरबीआई द्वारा शुरू की गई रिपोर्टिंग आवश्यकता केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के एकल वित्तीय विवरणों पर लागू होगी न कि पीएसबी के समेकित वित्तीय विवरणों पर। तदनुसार, 31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्टिंग नहीं की जाती है।

खंडेलवाल जैन एंड कंपनी.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 105049W

शैलेश शाह
पार्टनर
सदस्यता सं. 033632
UDIN: 22033632AIXHXY1851

स्थान - मुंबई
तिथि - 13 मई, 2022

अनुलग्नक क: 31 मार्च 2022 को समेकित इकाइयों की सूची

क्र. सं.	सहायक का नाम	क्र. सं.	सहायक का नाम
1	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड.	15	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्विसेस लि.
2	एसबीआईकैप सिक्योरिटीज लिमिटेड	16	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड
3	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	17	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड
4	एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड	18	वाणिज्यिक इंडो बैंक एलएलसी, मास्को
5	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लिमिटेड	19	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड
6	एसबीआई डीएफएचआई लि.	20	एसबीआई कनाडा बैंक
7	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	21	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफ़ोर्निया)
8	एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	22	भारतीय स्टेट बैंक (यूके) लिमिटेड
9	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	23	भारतीय स्टेट बैंक सर्विकोस लिमिटाडा
10	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	24	एसबीआई (मॉरीशस) लिमिटेड
11	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	25	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
12	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	26	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड
13	एसबीआई जेनरल इंश्योरंस कंपनी लि.	27	नेपाल एसबीआई मर्चेंट बैंकिंग लिमिटेड
14	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड		

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम
1	सी - एज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	5	मेक्वायरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.
2	एसबीआई मेक्वायरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	6	ओमान इंडिया ज्वाइंट इनवेस्टमेंट फंड - मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3	एसबीआई मेक्वायरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	7	ओमान इंडिया ज्वाइंट इनवेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
4	मेक्वायरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लिमिटेड।	8	जियो पेमेंट बैंक लि.

क्र. सं.	सहयोगियों के नाम	क्र. सं.	सहयोगियों के नाम
1	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	10	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
2	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	11	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक
3	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	12	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
4	इसाकाई देहाती बैंक	13	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
5	मेघालय ग्रामीण बैंक	14	तेलंगाना ग्रामीण बैंक
6	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	15	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड
7	मिजोरम ग्रामीण बैंक	16	येस बैंक लिमिटेड
8	नागालैंड ग्रामीण बैंक	17	बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड
9	उत्कल ग्रामीण बैंक	18	इन्वेस्टेक कैपिटल सर्विसेस (इंडिया) प्राइवेट लि (29 जून, 2021 से)